इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 मई 2012—वैशाख 28, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मई 2012

क्र. ई-5-829-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नागरमोजे मदन विभीषण, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत हरदा को दिनांक 26 अप्रैल से 4 मई 2012 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नागरगोजे मदन विभीषण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत हरदा के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री नागरगोजे मदन विभीषण को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नागरगोजे मदन विभीषण अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-642-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विवेक अग्रवाल, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 17 से 23 अप्रैल 2012 तक सात दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थापनापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विवेक अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-822-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री योगेन्द्र शर्मा, आयएएस., आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर को दिनांक 18 अप्रैल से 11 मई 2012 तक चौबीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री योगेन्द्र शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शर्मा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-593-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक बर्णवाल, आयएएस., आयुक्त-सह-संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 मार्च 2012 द्वारा दिनांक 7 से 20 अप्रैल 2012 तक चौदह दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 5, 6 एवं 21, 22 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति स्वीकृत किया गया है. उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि में से दिनांक 16 से 21 अप्रैल 2012 तक की अवधि एक्स इंडिया अर्जित अवकाश हेतु स्वीकृत की जाती है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 मार्च 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 मई 2012

क्र. ई-1-162-2012-5-एक.—श्री एच. एल. त्रिवेदी, भाप्रसे (1993) प्रमुख राजस्व आयुक्त तथा नियंत्रक, शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) जिनकी सेवाएं पूर्व से ही राजस्व विभाग के पास हैं, को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक नियंत्रक, शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

2. राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत नियंत्रक, शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनसूची II में सम्मिलित संभागीय कमिश्नर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 मई 2012

क्र. एफ-19-52-2012-एक-चार.—राज्य शासन विधान सभा क्षेत्र 183 महेश्वर जिला खरगौन के उप चुनाव 2012 के लिये शासकीय मुद्रणालय, भोपाल में मतपत्रों की छपाई एवं मुद्रण से संबंधित कार्य आदि की देख-रेख के लिये उपायुक्त (राजस्व) भोपाल को उप चुनाव 2012 संपन्न होने तक के लिये पदेन उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानन्द दुबे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 मई 2012

क्र. बी-1-48-2012-2-एक.—राज्य शासन द्वारा श्री रत्नाकर झा, राप्रसे (आर.आर. 96) संयुक्त नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित करते हुए अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उप संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (सेवाएं किसान कल्याण एवं कृषि विभाग को सौंपते हुए) के पद पर पदस्थ किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुभा श्रीवास्तव, उपसचिव, 'कार्मिक'.

भोपाल, दिनांक 3 मई 2012

क्र. बी-1-32-2005-2-एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग में नवीन पंचम स्तरीय वेतनमान रुपये 37400+67000+8900 स्वीकृत करता है. यह नवीन वेतनमान ''अधिसमय वेतनमान'' (Super Time Scale) कहलाएगा. इस वेतनमान में संवर्ग के स्वीकृत कुल पदों के 2 (दो) प्रतिशत पद विनिर्दिष्ट किये जाते है.

(2) अधिसमय वेतनमान, राप्रसे में 22 वर्ष की सेवा अवधि एवं वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में उस वर्ष की पहली जनवरी को जिसमें चयन किया जाना हो, 6(छ:) वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय होगा. राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग में स्वीकृत अन्य वेतनमानों के अनुरूप इस वेतनमान की स्वीकृति भी क्रमोन्नति मानी जाएगी.

(3) अधिसमय वेतनमान स्वीकृत किये जाने के परिणाम स्वरूप राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पांच स्तरीय वेतनमान का स्वरूप एवं अर्हता निम्नानुसार रहेगी:—

स.क्र.	वेतनमान का नाम	वेतनमान	पात्रता की अवधि	संवर्ग के स्वीकृत पदों का प्रतिशत	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अधिसमय वेतनमान	रुपये 37400+67000+8900	राज्य प्रशासनिक सेवा में 22 वर्ष की सेवा एवं 6 वर्ष की सेवा अवधि वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में पूर्ण कर ली गई हो.	2 प्रतिशत	वर्ग-1
2	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी	रुपये 37400+67000+8700	प्रवर श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के उपरांत.	5 प्रतिशत	वर्ग-1
3	प्रवर श्रेणी	रुपये 15600-39100+7600	वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 4 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के उपरांत.	16 प्रतिशत	वर्ग-1
4	वरिष्ठ श्रेणी	रुपये 15600-39100+6600	कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के उपरांत.	27 प्रतिशत	वर्ग-1
5	कनिष्ठ श्रेणी	रुपये 15600-39100+5400	पदोन्नति एवं सीधी भरती (सेवा में प्रवेश पर)	50 प्रतिशत	वर्ग-2

(4) मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा (वर्गीकरण भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1975 में संशोधन पृथक् से जारी किया जाएगा.

(5) यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

(6) आदेश पर वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 529-639-बी-8-चार-12, दिनांक 2 मई 2012 द्वारा सहमति दी गई है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उषा परमार, अवर सचिव, कार्मिक.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2012

क्र. एफ. 10-28-2010-23-योआसां.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा 4 की उपधारा 3 (ग) तथा संशोधित अध्यादेश की धारा 4(1) में प्रदत्त अधिकारों के तहत् नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्यों को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से आगामी दो वर्ष की कालावधि के लिये नामनिर्दिष्ट किया जाता है :—

क्र.	अशासकीय सदस्यों के नाम	जिला योजना समिति
(1)	(2)	(3)
1	श्री दिलीप पटोदिया	धार
2	श्री विनोद शर्मा	धार

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2012

क्र. एफ. 10-28-2010-23-योआसां.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा 4 की उपधारा 3 (ग) तथा संशोधित अध्यादेश, 2005 की धारा 4(1) में प्रदत्त अधिकारों के तहत् नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्यों को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से आगामी दो वर्ष की कालावधि के लिये नामनिर्दिष्ट किया जाता है :—

क्र.	अशासकीय सदस्यों के नाम	जिला योजना समिति
(1)	(2)	(3)
1	डॉ. विजय सिंह राजपूत	दमोह

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभा चौधरी, उपसचिव.

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 मई 2012

क्र. एफ. 03-33-2011-तीन-जेल—राज्य शासन, प्रिजन्स एक्ट 1894 की धारा 3 (1) (सी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उप जेल विजयपुर, जिला श्योपुर को दिनांक 3 मई 2012 से उप जेल स्थापित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. टी. एक्का, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

क्र 3(ए)1-2012-इक्कीस-ब (एक) भोपाल, दिनांक 5 मई 2012

प्रति,

श्री ब्रम्ह प्रकाश चतुर्वेदी,
द्विवेदी ए. डी. जे.
जिला मंडला (म. प्र.).

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की फुल कोर्ट मीटिंग दिनांक 28 अप्रैल 2012 में यह निर्णय लिया गया है कि लोकहित में आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए, तद्नुसार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने परामर्श/अनुशंसा की है.

आपने दिनांक 16 अगस्त 2009 को 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है.

उच्च न्यायालय की ओर से प्रेषित सेवा संबंधी अभिलेख तथा अन्य दस्तावेजों को अवलोकन करने तथा समग्र रूप से विचार करने के उपरांत राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि उच्च न्यायालय के परामर्श को मान्य किया जाकर आपको लिखित सूचना देकर लोकहित में सेवानिवृत्त किया जाए.

अतएव मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) (संशोधित) नियम, 1994 के नियम 14(1)(2) के प्रावधान के अन्तर्गत सपठित मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (पेन्शन) नियम, 1976 (आदिनांक तक संशोधित) के नियम 42 (1) (ख) एवं डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशंस जजेस डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, 1964 का नियम (1-ए) सपठित मूलभूत नियम 56(2) (क) (आदिनांक तक संशोधित) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा आपको इस आदेश की सूचना प्राप्ति की दिनांक के अपरान्ह से लोकहित में तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त करता है.

आपको तीन माह की कालावधि की सूचना के विकल्प में तीन माह के वेतन एवं भत्ते की राशि उसी दर से देय होगी जो आप सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व प्राप्त कर रहे हैं.

क्र 3(ए)1-2012-इक्कीस-ब (एक भोपाल, दिनांक 5 मई 2012

प्रति,

श्री नरवरसिंह भूरिया,
द्वितीय जिला न्यायाधीश के न्यायालय जोबट के
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान अलीराजपुर,
पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रेक कोर्ट,
अलीराजपुर (म. प्र.).

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की फुल कोर्ट मीटिंग दिनांक 28 अप्रैल 2012 में यह निर्णय लिया गया है कि लोकहित में आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए, तद्नुसार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने परामर्श/अनुशंसा की है.

आपने दिनांक 19 सितम्बर 2006 को 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है.

उच्च न्यायालय की ओर से प्रेषित सेवा संबंधी अभिलेख तथा अन्य दस्तावेजों को अवलोकन करने तथा समग्र रूप से विचार करने के उपरांत राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि उच्च न्यायालय के परामर्श को मान्य किया जाकर आपको लिखित सूचना देकर लोकहित में सेवानिवृत्त किया जाए.

अतएव मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (पेन्शन) नियम, 1976 (आदिनांक तक संशोधित) के नियम 42 (1) (ख) सपठित मूलभूत नियम 56(2) (क) (आदिनांक तक संशोधित) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा आपको इस आदेश की सूचना प्राप्ति की दिनांक के अपरान्ह से लोकहित में तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त करता है.

आपको तीन माह की कालावधि की सूचना के विकल्प में तीन माह के वेतन एवं भत्ते की राशि उसी दर से देय होगी जो आप सेवा निवृत्ति के तत्काल पूर्व प्राप्त कर रहे हैं.

क्र 3(ए)1-2012-इक्कीस-ब (एक) भोपाल, दिनांक 5 मई 2012

प्रति,

श्रीमती फिलिपा सोनजोय पीटर
प्रथम सिविल न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं,
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
जिला डिण्डोरी (म. प्र.).

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की फुल कोर्ट मीटिंग दिनांक 28 अप्रैल 2012 में यह निर्णय लिया गया है कि लोकहित में आपको

अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए, तद्नुसार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने परामर्श/अनुशंसा की है.

आपने दिनांक 7 जनवरी 2010 को 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है.

उच्च न्यायालय की ओर से प्रेषित सेवा संबंधी अभिलेख तथा अन्य दस्तावेजों को अवलोकन करने तथा समग्र रूप से विचार करने के उपरांत राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि उच्च न्यायालय के परामर्श को मान्य किया जाकर आपको लिखित सूचना देकर लोकहित में सेवानिवृत्त किया जाए.

अतएव मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (पेन्शन) नियम, 1976 (आदिनांक तक संशोधित) के नियम 42 (1) (ख), सपठित मूलभूत नियम 56(2) (क) (आदिनांक तक संशोधित) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा आपको इस आदेश की सूचना प्राप्ति की दिनांक के अपरान्ह से लोकहित में तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त करता है.

आपको तीन माह की कालावधि की सूचना के विकल्प में तीन माह के वेतन एवं भत्ते की राशि उसी दर से देय होगी जो आप सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व प्राप्त कर रहे हैं.

क्र. 3(ए)1-2012-इक्कीस-ब (एक) भोपाल, दिनांक 5 मई 2012

प्रति,

श्री माधवराव घोड़की,
सिविल न्यायाधीश, वर्ग-1
बेहर, जिला बालाघाट (म. प्र.).

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की फुल कोर्ट मीटिंग दिनांक 28 अप्रैल 2012 में यह निर्णय लिया गया है कि लोकहित में आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए, तद्नुसार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने परामर्श/अनुशंसा की है.

आपने दिनांक 5 नवम्बर 2008 को 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है.

उच्च न्यायालय की ओर से प्रेषित सेवा संबंधी अभिलेख तथा अन्य दस्तावेजों को अवलोकन करने तथा समग्र रूप से विचार करने के उपरांत राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि उच्च न्यायालय के परामर्श को मान्य किया जाकर आपको लिखित सूचना देकर लोकहित में सेवानिवृत्ति किया जाए.

अतएव मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (पेन्शन) नियम, 1976 (आदिनांक तक संशोधित) के नियम 42 (1) (ख), सपठित मूलभूत नियम 56(2) (क) (आदिनांक तक संशोधित) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा आपको इस आदेश की सूचना प्राप्ति की दिनांक के अपरान्ह से लोकहित में तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त करता है.

आपको तीन माह की कालावधि की सूचना के विकल्प में तीन माह के वेतन एवं भत्ते की राशि उसी दर से देय होगी जो आप सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व प्राप्त कर रहे हैं.

भोपाल, दिनांक 7 मई 2012

फा. क्र. 1 (अ)1-2012-इक्कीस-ब (दो)—राज्य शासन, श्री नमन नागरथ, अतिरिक्त महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा प्रस्तुत त्याग-पत्र दिनांक 3 मई 2012 के आलोक में उनका अतिरिक्त महाधिवक्ता, जबलपुर के पद से त्याग-पत्र आदेश जारी होने के दिनांक से स्वीकृत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 मई 2012

क्र. एफ. 30-08-2002-दस-3.—मध्यप्रदेश अभिवहन(वनोपज) नियम, 2000 के नियम 3 के परन्तुक के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 30-08-2002-दस-3, दिनांक 16 मई, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, प्रविष्टि (ग्यारह) के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(बारह) खमेर-मेलाइना अरबोरिया".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 मई 2012

क्र. एफ. 30-08-2002-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 30-08-2002-दस-3, दिनांक 7 मई 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. मिश्रा, सचिव.

Bhopal, the 7th May 2012

No F-30-8-2002-X-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of the proviso to rule 3 of the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000, the State Government, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification No. F-30-8-2002-X-3, dated 16th May, 2005, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, after entry (xi), the following entry shall be inserted, namely:—

" (xii) Khamer-Gmelina arborea".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. K. MISHRA, Secy.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 मई 2012

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब(एक)-1339-12.—स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब(1), दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल, 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक (1)	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (2)	विशेष न्यायालय (3)	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड (4)
"35.	श्री अजय कुमार गर्ग, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नरसिंहपुर.	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर .".

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

1-6-89-XXI-B(1) 1339-12.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 1-6-89-XXI-B(1) dated 3rd April, 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1 dated 17th April 1998, namely:—

AMENDMENTS

In the said Notification in the Schedule, for serial number 35 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No. (1)	Name and Designation of the Judge (2)	Special Court (3)	Local area/Session division (4)
"35.	Shri Ajay Kumar Garg, I[st] Additional Sessions Judge, Narsinghpur.	Narsinghpur.	Narsinghpur .".

This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this Notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 मई 2012

क्र. एफ-3-176-2010-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 ''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-176-2010-बत्तीस, दिनांक 26 नवम्बर 2011 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित रीवा विकास योजना-2021 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

''उपांतरण विवरण''

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भूमि उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भूमि उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	निपनिया	156, 158/1, 158/2, 159, 160.	3.646	आमोद प्रमोद के अन्तर्गत पार्क.	आमोद प्रमोद के अन्तर्गत पार्क शर्त-संस्पेशन ब्रिज, वाटर पार्क, बच्चों के मनोरंजन से संबंधित झूले एवं खेलने की जगह, संगीतमय फव्वारा, हर्बल गार्डन एवं ट्रीटमेट तितली पार्क एवं स्वल्पाहार गृह आदि गतिविधियां स्वीकार्य होंगी.
	रीवा	101, 104	1.55 हे.	बीहर नदी के 50 मीटर तक का क्षेत्र आमोद प्रमोद के अन्तर्गत पार्क तथा शेष भूमि सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक.	बीहर नदी के 50 मीटर तक का क्षेत्र आमोद प्रमोद के अन्तर्गत पार्क यथावत तथा शेष भूमि वाणिज्यिक.
		योग . .	5.186 हे.		

2. उपरोक्त उपांतरण रीवा विकास योजना-2021 का एकीकृत भाग होगा.

क्र. एफ-3-30-2012-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 ''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-30-2012-बत्तीस, दिनांक 29 फरवरी 2012 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित देवास विकास योजना-2011 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

''उपांतरण विवरण''

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भूमि उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भूमि उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम राजौदा	836/2/2, 836/3	2.00 हे.	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक शैक्षणिक (पॉलीटेक्निक महाविद्यालय एवं छात्रावास प्रयोजन).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम राजौदा	836/2/2, 836/3	2.00 हे.	कृषि	शर्त- देवास विकास योजना 2011 में महाविद्यालय हेतु 4.00 हेक्टेयर भूमि आवश्यक है. अत: इसी भूमि से शेष संलग्न 2 हे. भूमि महाविद्यालय प्रयोजन हेतु प्राप्त कर भूमि उपांतरित करवाना आवश्यक होगा.
		योग. . .	2.00 हे.		2- उक्त भूमि तक 24.00 मीटर चौड़ा पहुंच मार्ग निर्माण कर उपलब्ध कराना होगा.

2. उपरोक्त उपांतरण देवास विकास योजना-2011 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मई 2012

क्र. एफ-4-2-12-चौवन-1.—राज्य शासन, मध्यप्रदेश वित्त संहिता के अधिकारों की पुस्तिका 1995 के खण्ड-एक के अनुक्रमांक 5 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निम्नांकित अनु. 1 से 50 तक के जिला अधिकारियों को आहरण एवं संवितरण अधिकारी घोषित करता है :—

क्र.	जिले का नाम	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
भोपाल संभाग		
1	भोपाल	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
2	सीहोर	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
3	रायसेन	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
4	राजगढ़	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
5	विदिशा	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
होशंगाबाद संभाग		
6	होशंगाबाद	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
7	हरदा	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
8	बैतूल	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
इन्दौर संभाग		
9	इन्दौर	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
10	झाबुआ	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
11	अलीराजपुर	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
12	धार	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
13	खरगौन	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
14	खण्डवा	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
15	बुरहानपुर	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
16	बड़वानी	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण

(1)	(2)	(3)
उज्जैन संभाग		
17	उज्जैन	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
18	रतलाम	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
19	देवास	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
20	शाजापुर	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
21	मन्दसौर	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
22	नीमच	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
ग्वालियर संभाग		
23	ग्वालियर	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
24	शिवपुरी	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
25	गुना	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
26	अशोकनगर	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
27	दतिया	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
चंबल संभाग		
28	मुरैना	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
29	भिण्ड	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
30	श्योपुर	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
रीवा संभाग		
32	रीवा	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
33	सतना	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
34	सिंगरोली	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
31	सीधी	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
शहडोल संभाग		
35	शहडोल	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
36	अनूपपुर	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
37	उमरिया	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
सागर संभाग		
38	सागर	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
39	दमोह	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
40	पन्ना	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
41	छतरपुर	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
42	टीकमगढ़	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
जबलपुर संभाग		
43	जबलपुर	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
44	नरसिंहपुर	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
45	छिन्दवाड़ा	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
46	मण्डला	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
47	बालाघाट	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
48	कटनी	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
49	सिवनी	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
50	डिंडौरी	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण

क्र. एफ-4-2-12-चौवन-1.—राज्य शासन, मध्यप्रदेश वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका 1995 के खण्ड-एक के अनुक्रमांक 3 में उल्लिखित मध्यप्रदेश वि. सं. जिल्द एक, नियम 2 (23) वि. वि. का ज्ञाप क्र. ई. 17-2-79- नियम-पांच/चार, दिनांक 31 दिसम्बर 1979 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जिला कार्यालयों की स्थापना हेतु निम्नांकित अनु. 1 से 50 तक के अधिकारियों को कार्यालय प्रमुख घोषित करता हैं :—

क्र.	जिले का नाम	कार्यालय प्रमुख एवं कार्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)
भोपाल संभाग		
1	भोपाल	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
2	सीहोर	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
3	रायसेन	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
4	राजगढ़	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
5	विदिशा	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
होशंगाबाद संभाग		
6	होशंगाबाद	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
7	हरदा	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
8	बैतूल	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
इन्दौर संभाग		
9	इन्दौर	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
10	झाबुआ	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
11	अलीराजपुर	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
12	धार	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
13	खरगौन	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
14	खण्डवा	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
15	बुरहानपुर	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
16	बड़वानी	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
उज्जैन संभाग		
17	उज्जैन	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
18	रतलाम	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
19	देवास	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
20	शाजापुर	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
21	मन्दसौर	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
22	नीमच	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
ग्वालियर संभाग		
23	ग्वालियर	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
24	शिवपुरी	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण

(1)	(2)	(3)
25	गुना	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
26	अशोकनगर	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
27	दतिया	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
चंबल संभाग		
28	मुरैना	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
29	भिण्ड	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
30	श्योपुर	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
रीवा संभाग		
31	रीवा	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
32	सतना	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
33	सिंगरोली	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
34	सीधी	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
शहडोल संभाग		
35	शहडोल	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
36	अनूपपुर	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
37	उमरिया	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
सागर संभाग		
38	सागर	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
39	दमोह	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
40	पन्ना	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
41	छतरपुर	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
42	टीकमगढ़	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
जबलपुर संभाग		
43	जबलपुर	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
44	नरसिंहपुर	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
45	छिन्दवाड़ा	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
46	मण्डला	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
47	बालाघाट	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
48	कटनी	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
49	सिवनी	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
50	डिंडौरी	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण

उपरोक्तानुसार प्रत्येक जिले के विभागीय जिलाधिकारी (सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण) जिला कलेक्टर के नियंत्रण में कार्य करेंगे तथा सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण के जिला कार्यालय कलेक्टर कार्यालय के भाग के रूप में कार्य करेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. खैरवार, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 18 अप्रैल 2011

क्र. 4597-4603- ज.स्वा.-2012.—देवास जिले में ग्रीष्म/वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियों एवं पेयजल की शुद्धता के कारण संक्रामक रोग हैजा, आंत्रशोध, पेचिस, पीलिया, मस्तिष्क ज्वर की संभावना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाय तुरंत लागू किये जावें.

अस्तु, मैं, मुकेशचन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला देवास, मध्यप्रदेश आपत्तिजनक हैजा/ ज्वर/ आंत्रशोध विनियम, 1979 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला देवास के सम्पूर्ण क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं तथा यह आदेश देता हूं कि:—

1. अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपहार गृहों, भोजनालयों, होटलों जनता के लिए खाद्य व पेय पदार्थ, निर्माण कार्य करने या उनके प्रयोग करने के लिये कायम रखी गई स्थापना में विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर :—

   क. बासी मिठाइयों तथा नमकीन वस्तुओं व सड़े--गले फल, सब्जियों, दूध, दही, उबली हुई चाय, काफी, अण्डों की बिक्री प्रतिनिषिद्ध रहेगी.

   ख. बासी मिठाईयों व नमकीन वस्तुओं, फल, सब्जियों, उबली हुई चाय, शर्बत, मांस, मछली, अण्डे, कुल्फी, आईसक्रीम, बर्फ के लड्डू, चूसने वाले पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जाएंगे. उन्हें जालीदार ढक्कनों अथवा कांच के बंद शोकेस में अथवा पारदर्शी आवरण से ढककर इस प्रकार रखा जावेगा कि वे मक्खी, मच्छर आदि कीटों या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिए, दूषित अस्वास्थ्य कारक या अनुपयोगी न हो सकें.

2. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में या बाहर के कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण एक (क) एवं (ख) में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार एवं पकाये गये भोजन को न तो लाएगा और न ही ले जाएगा.

इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में अधिसूचित क्षेत्र के किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल अथवा खाने-पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थानों, प्रवेश करने, निरीक्षण करने, उनमें विद्यमान ऐसी वस्तु की जांच पड़ताल करने तथा खाने-पीने की ऐसी वस्तु के विक्रय का मानव उपयोग अभिप्रेत है और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त है, तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 व 165 में उल्लेख की गई रीति से पाई गई अस्वास्थ्यकारक दूषित व अनुपयुक्त वस्तुओं का अधिग्रहण कराकर हटाने व नष्ट कर या ऐसी नीति से निवर्तन करने के लिए, जिससे वह मानव उपयोग में लाये जाने से रोकी जा सके जनहित में मध्यप्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1962 के नियम 5 (5) के अंतर्गत खाद्य पदार्थों के विक्रय, संग्रह एवं निर्माण हेतु जारी किये गये खाद्य लायसेंस और निलंबित और मध्यप्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7 के अंतर्गत प्रतिबद्ध किये जायेंगे एवं न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी. धारा 16 के तहत जिसमें दण्ड में सजा एवं जुर्माना का प्रावधान किया गया है. अधिसूचित क्षेत्र में कार्यवाही हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूं. जो पृथक्-पृथक् एवं आवश्यकतानुसार सामूहिक रूप से कार्यवाही करेंगे :—

1. जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी.
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन-सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सा देवास/ खण्ड चिकित्सा अधिकारी.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी.
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/जिला पंचायत/जनपद पंचायत.
5. नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक.
6. खाद्य अधिकारी/खाद्य निरीक्षक.

उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं भी नालियों, नालों, गटरों, पानी के गड्ढ़ों, पोखरों, मलकुण्डों, संडासों, संक्रामक वस्तुओं, बिस्तरों, कूड़ा-करकट अथवा किसी भी प्रकार की गंदगी को हटाने उक्त स्थापन को स्वच्छ और रोग कीटाणु से उसका निवर्तन करने अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिए आदेश दे सकेंगे.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 6 माह की अवधि या अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो प्रभावशाली होंगे.

मुकेशचन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 2 मई 2012

क्र. 6050-सीहोर जिले में संक्रामक रोग हैजा के फैलाव की आशंका के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस संसर्गिक बीमारियों के प्रार्दुभाव और फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किये जावें.

अतः मैं, डॉ. संजय गोयल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, आपत्तिक हैजा विनियम 1979 के नियम-3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सम्पूर्ण सीहोर जिले को मैं अधिसूचित घोषित करता हूं तथा आदेश देता हूं कि:—

(क) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, के उपहार गृहों, भोजनालयों, होटलों, जनता के लिए खाद्य और पेय पदार्थों के निर्माण करने या उसके प्रदाय के लिये ली गई स्थापना में विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर:—

1. बासी मिठाइयों या खराब वस्तुओं या सड़े-गले फलों, सब्जियों, मांस, मछलियों, अण्डों की बिक्री बंधित रहेगी.

2. ताजी मिठाईयां, नमकीन, फल, सब्जियां, दूध, दही, उबली चाय, काफी, शरबत, मांस-मछली, अण्डे, आईस्क्रीम, कुल्फी आदि खाद्य पदार्थों, बर्फ के लड्डू व चूसने वाले अन्य पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जावेंगे. उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढक कर इस प्रकार रखें की मक्खी, मच्छर आदि विषाणुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिए दूषित अस्वास्थ्यकर अथवा अनुपयोगी न हो सके.

(ख) इस आदेश द्वारा प्रतिबंध अवधि में घोषित अधिसूचना में ये क्षेत्र से बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण ''क'' (1) एवं (2) में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार कर एवं पकाये हुये भोजन जो न तो लायेगा और ना ही ले जायेगा.

(ग) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल अथवा खाने-पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थानों में प्रवेश करने, विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच पड़ताल करने तथा खाने की ऐसी वस्तुओं का जो मानव उपयोग के लिये अभिप्रेरित है, और अन्य उपयुक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने, हटाने व नष्ट करने या ऐसी रीति से निवर्सन करने के लिये जिसमें वह मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से रोका जा सके. अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूं.

1. जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी.

2. जिले के ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद के नीचे के स्तर के न हों तथा शासकीय वैध आयुर्वेदिक औषधालय.

3. ऐसे आरक्षक पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे न हो.

4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीहोर/अष्टा.

5. स्वास्थ्य अधिकारी/स्वच्छता निरीक्षक सीहोर/आष्टा/ बुधनी/नसरूल्लागंज/ इछावर/श्यामपुर.

6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सीहोर/ आष्टा/बुधनी/इछावर/नसरूल्लागंज.

उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारियों अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं नालियों, नालों, गटरों, पानी के गड्ढ़ों, पोखरों, जलकुण्डों, संडासों, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा-करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी को हटाने उक्त संबंध में सूचित रोगाणुनाशक पदार्थों का समुचित उपयोग करने के लिये आदेश दे सकेंगे.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आगामी 6 माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो पहले हो तक प्रभावशील होगा.

संजय गोयल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय मध्यप्रदेश, भोपाल

संशोधित अधिसूचना

राजभवन, भोपाल दिनांक 7 मई 2012

क्र. एफ-1-3-11-रा.स.-यू.ए.-674.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रावधान के तहत देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल अनुशंसित करने के लिए इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-3-11-रा.स.-यू.ए.1-413, दिनांक 22 मार्च 2012 के द्वारा तीन सदस्यीय समिति गठित की गई थी. कालांतर में संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-1-3-11-रा.स./यू.ए.1-649, दिनांक 2 मई 2012 के द्वारा उक्त समिति का पुनर्गठन किया गया एवं समिति को पैनल प्रस्तुत करने हेतु छः सप्ताह की पूर्व निर्धारित समयावधि में दो सप्ताह की वृद्धि की गई.

2. चूंकि समिति के द्वारा आठ सप्ताह की निर्धारित समयावधि में पैनल प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं हो सकेगा. अत: मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13 की उपधारा (5) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम कुलाधिपतिजी के द्वारा समिति को पूर्व निर्धारित आठ सप्ताह की समयावधि में 2 सप्ताह की वृद्धि की गई है.

कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के
आदेशानुसार,
जे. एन. मालपानी, राज्यपाल के सचिव.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
"निर्वाचन भवन"
58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश 462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 7 मई 2012

क्र. एफ. 67-267-10-तीन-704.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत, रामपुर नैकिन, जिला सीधी** के आम निर्वाचन में **श्री बाबूलाल कोल** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. **नगर पंचायत, रामपुर नैकिन, जिला सीधी** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीधी** के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीधी** के पत्र क्र. 313/स्था.निर्वा./10, दिनांक 19 अगस्त 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री बाबूलाल कोल** द्वारा यद्यपि विहित समयावधि में किन्तु अपूर्ण "शपथ-पत्र तथा वाउचर सत्यापित नहीं है" निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल किया गया.

अपूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आयोग के पत्र दिनांक 15 सितम्बर 2010 के द्वारा **श्री बाबूलाल कोल** को जिला स्तर पर नोटिस जारी कर लेखा पूर्ण किये जाने हेतु सूचित किये जाने बाबत् कलेक्टर सीधी को पत्र प्रेषित किया गया. कलेक्टर सीधी ने सूचना-पत्र क्रमांक 222, दिनांक 17 जून 2010 जारी कर लेखे पूर्ण किये जाने हेतु अभ्यर्थी को सूचित किया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सीधी ने पत्र दिनांक 17 जनवरी 2010 में लेख किया कि अभ्यर्थी व्यय लेखा पूर्ण करने हेतु आज दिनांक तक इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये. उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आयोग के पत्र दिनांक 4 मार्च 2011 के द्वारा अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के माध्यम से दिनांक 23 अप्रैल 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री बाबूलाल कोल को नोटिस दिनांक 23 अप्रैल 2011 को तामील हो गया था. अत: उनको दिनांक 7 मई 2011 तक अभ्यावेदन/त्रुटि सुधार कर लेखे प्रस्तुत करना था. किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन/त्रुटि सुधार कर लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये. उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी ने अपने फैक्स पत्र दिनांक 03 जून 2011 में लेख किया कि "अभ्यर्थी श्री बाबूलाल कोल लेखे पूर्ण किये जाने हेतु इस कार्यालय में आज दिनांक तक उपस्थित नहीं आये हैं." उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी से उक्त जानकारी प्राप्त होने पर विचारोपरान्त आयोग द्वारा 13 फरवरी 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 22 मार्च 2012 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.) सीधी के पत्र दिनांक 13 अप्रैल 2012 के अनुसार दिनांक 20 मार्च 2012 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में पूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री बाबूलाल कोल** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत, रामपुर नैकिन, जिला सीधी**

का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 02 वर्ष (दो वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 07 मई 2012

क्र. एफ. 67-267-10-तीन-705.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत, रामपुर नैकिन, जिला सीधी** के आम निर्वाचन में **श्री कीर्तिदेव** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. **नगर पंचायत, रामपुर नैकिन, जिला सीधी** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीधी** के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीधी** के पत्र क्र. 313/स्था.निर्वा./10, दिनांक 19 अगस्त, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री कीर्तिदेव** द्वारा यद्यपि विहित समयावधि में किन्तु अपूर्ण "शपथ-पत्र तथा वाउचर सत्यापित नहीं है" निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल किया गया.

अपूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आयोग के पत्र दिनांक 15 सितम्बर 2010 के द्वारा **श्री कीर्तिदेव** को जिला स्तर पर नोटिस जारी कर लेखा पूर्ण किये जाने हेतु सूचित किये जाने बाबत् कलेक्टर, सीधी को पत्र प्रेषित किया गया. कलेक्टर, सीधी ने सूचना-पत्र क्रमांक 222 दिनांक 17 जून 2010 जारी कर लेखे पूर्ण किये जाने हेतु अभ्यर्थी को सूचित किया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी ने पत्र दिनांक 17 जनवरी 2010 में लेख किया कि अभ्यर्थी व्यय लेखा पूर्ण करने हेतु आज दिनांक तक इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये. उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आयोग के पत्र दिनांक 04 मार्च 2011 के द्वारा अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के माध्यम से दिनांक 23 अप्रैल 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री कीर्तिदेव को नोटिस दिनांक 23 अप्रैल 2011 को तामील हो गया था. अतः उनको दिनांक 7 मई 2011 तक अभ्यावेदन/त्रुटि सुधार कर लेखे प्रस्तुत करना था. किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन/त्रुटि सुधार कर लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये. उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी ने अपने फैक्स पत्र दिनांक 03 जून 2011 में लेख किया कि "अभ्यार्थी **श्री कीर्तिदेव** लेखे पूर्ण किये जाने हेतु इस कार्यालय में आज दिनांक तक उपस्थित नहीं आये हैं." उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी से उक्त जानकारी प्राप्त होने पर विचारोपरान्त आयोग द्वारा 13 फरवरी 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 22 मार्च 2012 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.) सीधी के पत्र दिनांक 13 अप्रैल 2012 के अनुसार दिनांक 20 मार्च 2012 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में पूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री कीर्तिदेव** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत, रामपुर नैकिन, जिला सीधी** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 02 वर्ष (दो वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,

राज्य शासन के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 7 अगस्त 2009

क्र. 398-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राज्य में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	पहाड़	34.203 कृषक भूमि	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा म. प्र.	पतनारी बांध योजना हेतु
		अजुर्नपुर	5.925 म. प्र. शासन		
		योग . .	40.128 हे.		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—पतनारी बांध योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 10अ-82 वर्ष 2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 16-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	हर्रई	0.876	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, नरसिंहपुर.	सड़क निर्माण हेतु

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13अ-82 वर्ष 2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 16-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	मझगुवां	0.681	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, नरसिंहपुर.	सड़क निर्माण हेतु

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 14अ-82 वर्ष 2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 16-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	थलवाड़ा	2.308	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, नरसिंहपुर.	सड़क निर्माण हेतु

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 25 अप्रैल 2012

क्र. क-प्र.भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है.

राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	कंजेरा प.ह.नं. 22	14	1.84	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र. 1, सागर (म.प्र.)	सतधारा जलाशय योजना के अन्तर्गत कंजेरा माईनर नहर निर्माण कार्य.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—सतधारा जलाशय योजना अन्तर्गत कंजेरा माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 26 अप्रैल 2012

क्र. 1707-भू.अ.अ.-2011-12-प्र. क्र. अ-82 वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील का नाम	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	हटा	वर्धा	कुल भूमि 0.40	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग, सागर.	वर्धा जैतपुर मार्ग के वरैया नाला पर पुल निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा, जिला दमोह एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, सागर संभाग, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दमोह, दिनांक 7 मई 2012

क्र. भू.अ.अ.-2011-12-1852-प्र. क्र. 2अ-82 वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला तहसील का नाम		ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	हटा	मिहगुवां	कुल भूमि 0.23	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग जिला दमोह.	विनती-मडियादो मार्ग से हिनपटी-काईखेड़ा मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा, जिला दमोह एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 28 अप्रैल 2012

क्र. 1467-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	पाली	सुन्दरदादर	26.500	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.	पटपरिहा जलाशय योजना
		सुन्दरी	1.020		
		कुनकुणी	1.050		
		योग	28.570		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—पटपरिहा जलाशय योजना.

क्र. 1448-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	पाली	कांचोदर	34.713	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.	कांचोदर जलाशय योजना
		योग . .	34.713		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—कांचोदर जलाशय योजना

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एस. भटनागर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 30 अप्रैल 2012

क्र. 38-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	बहांगीकला	4.62	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुर शाखा नहर की रसीदपुर डिस्ट्री नहर के निर्माण हेतु.
		योग . .	4.62		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 39-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	कैमपुरा	3.99	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर शाखा नहर के निर्माण हेतु.
		योग . .	3.99		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 40-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	बहांगीखुर्द	4.834	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर शाखा नहर के निर्माण हेतु.
		योग . .	4.834		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 4 मई 2012

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12-294-ए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि

के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	पड़रिया प.ह.नं. 46 रा.नि.मं. डिण्डौरी.	दॉयी नहर निजी भूमि—		कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	गोपालपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत दॉयी तट नहर कार्य.
			1 .	0.100		
			3	0.032		
			25/1	0.064		
			23	0.019		
			29/2	0.100		
			22	0.160		
			37	0.108		
			38	0.060		
			41	0.060		
			39	0.108		
			40	0.020		
			34	0.076		
			60	0.010		
			61	0.134		
			59	0.064		
			84	0.256		
			68	0.010		
			82	0.076		
			81/2	0.038		
			103	0.032		
			107	0.115		
			123	0.064		
			119	0.160		
			141	0.307		
			143	0.030		
			142	0.076		
			208	0.076		
			205	0.010		
			207	0.064		
			199	0.100		
			193	0.038		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			194	0.217		
			167/2	0.057		
			132	0.010		
			योग	2.851		
			शासकीय भूमि- 8, 24, 54, 66, 67, 83, 80, 104, 106, 109, 122, 133, 211, 206, 200, 195	0.830		
			कुल योग	3.681		

नोट.—भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

डिण्डौरी, दिनांक 5 मई 2012

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12-297-ए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	गोपालपुर प.ह.नं. 46/22 रा.नि.मं. डिण्डौरी.	दॉयी नहर निजी भूमि— 172/1	0.010	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	गोपालपुर जलाशय दॉयी व बॉयी तट नहर कार्य.
			175	0.130		
			204	0.090		
			203	0.025		
			202	0.200		
			207	0.090		
			208	0.026		
			206	0.096		
			216	0.100		
			263/1	0.057		
			263/2	0.080		
			263/3	0.220		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			288	0.350		
			294	0.076		
			295	0.120		
			योग	1.670		
			बांयी नहर निजी भूमि-			
			171/2	0.038		
			167	0.050		
			222	0.190		
			156	0.250		
			147	0.166		
			152	0.220		
			229	0.210		
			232	0.170		
			योग	1.294		
			योग निजी भूमि	2.964		
			शासकीय भूमि-			
			187, 266, 262, 296, 218, 168, 159, 155	0.224		
			कुल योग	3.188		

नोट.—भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12-298-ए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	अमनी पिपरिया माल	दॉयी नहर निजी भूमि		कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	भरद्वारा (अमनी) जलाशय दॉयी एवं बॉयी तट नहर कार्य)
		प.ह.नं. 02/4	248	0.200		
		रा.नि.मं.	247	0.040		
		विक्रमपुर	243	0.010		
			244	0.220		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			242	0.340		
			240	0.300		
			239	0.300		
			235	0.160		
			141	0.100		
			231	0.120		
			229	0.120		
			226	0.100		
			225	0.040		
			334	0.050		
			337	0.120		
			338	0.040		
			339	0.040		
			217	0.120		
			218	0.010		
			340	0.110		
			215	0.240		
			230/1	0.050		
			110/1	0.060		
			230/2	0.050		
			230/3	0.050		
			110/3	0.070		
			230/4	0.050		
			110/4	0.010		
			176	0.060		
			175	0.190		
			128	0.210		
			125	0.300		
			100	0.160		
			99	0.200		
			105/1	0.050		
			105/2	0.050		
			105/3	0.050		
			107	0.210		
			71	0.190		
			78/2	0.110		
			78/1	0.110		
			78/3	0.110		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			78/4	0.110		
			115/1	0.020		
			115/2	0.030		
			115/3	0.030		
			योग	5.310		
			287/1	0.070		
			287/2	0.102		
			354/1	0.070		
			296	0.100		
			302	0.170		
			309 359	0.130		
			308	0.130		
			316	0.040		
			314	0.050		
			352	0.060		
			351	0.040		
			350	0.050		
			353	0.220		
			360	0.100		
			364	0.060		
			363	0.050		
			434	0.090		
			438	0.100		
			437	0.160		
			439	0.450		
			योग निजी भूमि	2.242		
			कुल अर्जित भूमि	7.552		
			शासकीय भूमि- 324, 158/1, 335, 216, 173, 126, 104, 108, 62, 285, 298, 315, 449/434	0.930		
			कुल योग	8.482		

नोट.—भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12-299-ए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	सूरजपुरा रै. प.ह.नं. 19 रा.नि.मं. शाहपुर	24/1	0.100	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	गोरखपुर जलाशय योजना नहर कार्य हेतु.
			26	0.140		
			27	0.190		
			82/1	0.280		
			28	0.260		
			81	0.260		
			कुल योग	1.23		

नोट.—भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12-300-ए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	बरबसपुर रै. प.ह.नं. 18 रा.नि.मं. शाहपुर	12	0.210	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	गोरखपुर जलाशय योजना नहर कार्य हेतु.
			27	0.190		
			30	0.080		
			96	0.080		
			97	0.160		
			117	0.030		
			118	0.090		
			125	0.160		
			129	0.030		
			144	0.140		
			146	0.110		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			148	0.030		
			149	0.150		
			150/1	0.020		
			150/2	0.020		
			229	0.190		
			230	0.160		
			231	0.100		
			243/2	0.190		
			244	0.040		
			246/1	0.050		
			246/2	0.060		
			योग	2.29		
			शासकीय भूमि- 86, 100, 119, 128, 132, 143, 145, 147, 251	0.44		
			कुल योग	2.73		

नोट.—भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12-301-ए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	जमगांव माल प.ह.नं. 01 रा.नि.मं. विक्रमपुर	निजी भूमि- 54	0.120	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	नागदमन जलाशय के नहर कार्य हेतु.
			493	0.230		
			494	0.260		
			495	0.110		
			483	0.120		
			479	0.140		
			435	0.090		
			345	0.020		
			344	0.200		
			343	0.020		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			515	0.110		
			514	0.080		
			514/616	0.040		
			521	0.070		
			524/1	0.280		
			525	0.020		
			524/1	0.200		
			524/2	0.050		
			योग निजी भूमि-	2.16		
			शासकीय भूमि- 491, 482, 480, 489/622, 342, 491, 505, 508 512, 517, 518, 520	0.460		
			कुल योग	2.620		

नोट.—भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12-302-ए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	छीरपानी प.ह.नं. 102 रा.नि.मं. राई	निजी भूमि- 412	0.760	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	छीरपानी जलाशय शीर्ष कार्य हेतु.
			413/1	0.320		
			413/2	0.520		
			422	0.140		
			410/1	0.100		
			421	0.080		
			410/2	0.430		
			419	0.880		
			420	1.030		
			योग-	4.26		
			शासकीय भूमि- 353	0.600		
			कुल योग	4.86		

नोट.—भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12-303-ए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

संशोधित अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	शाहपुर प.ह.नं. 18 रा.नि.मं. शाहपुर	नहर कार्य निजी भूमि-		कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	गोरखपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर कार्य हेतु.
			1/1	0.080		
			1/2	0.080		
			2	0.300		
			10	0.020		
			11	0.200		
			12/1	0.080		
			12/2	0.050		
			12/3	0.050		
			12/4	0.040		
			13/1	0.190		
			17/3	0.070		
			18	0.150		
			19/2	0.080		
			19/3	0.070		
			25	0.060		
			27/1	0.100		
			28	0.190		
			29	0.300		
			30	0.040		
			333	0.200		
			334	0.060		
			336/2	0.140		
			336/3	0.230		
			336/4	0.190		
			338/1	0.060		
			343	0.200		
			344	0.320		
			346	0.110		
			347	0.140		
			348	0.190		
			354	0.180		
			355	0.020		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			405/2	0.090		
			406/1	0.020		
			407	0.200		
			408/1	0.060		
			409/1	0.120		
			409/2	0.130		
			441	0.250		
			442	0.270		
			444	0.060		
			445/1	0.030		
			445/2	0.030		
			500	0.210		
			502	0.020		
			503	0.030		
			504/1	0.350		
			505	0.030		
			योग निजी भूमि-	6.090		
			शासकीय भूमि-			
			3, 22, 24, 372, 473, 501	0.180		
			योग निजी भूमि-	6.270		

नोट.—भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12-304-ए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

संशोधित अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	अमनी पिपरिया रै प.ह.नं. 02 रा.नि.मं. विक्रमपुर	बॉयी नहर निजी भूमि-		कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	भरद्वारा (अमनी) जलाशय दॉयी एवं बॉयी तट नहर कार्य.
			204	0.130		
			203	0.190		
			217	0.700		
			222/1	0.040		
			222/2	0.330		
			219	0.290		
			योग-	1.680		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			दॉयी नहर			
			निजी भूमि-			
			189	0.130		
			186	0.270		
			182	0.420		
			172	0.360		
			166	0.200		
			योग निजी भूमि-	1.380		
			कुल निजी भूमि-	3.060		
			शासकीय भूमि-			
			202, 188, 173, 168	0.250		
			कुल योग	3.310		

नोट.—भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12-305-ए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	बरगा रै.	निजी भूमि-		कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बरगा जलाशय की दॉयी तट नहर कार्य हेतु.
		प.ह.नं. 64	529	0.152		
		रा.नि.मं. समनापुर	525	0.128		
			योग निजी भूमि-	0.280		
			शासकीय भूमि-			
			530, 526, 524	0.648		
			योग शा. भूमि-	0.648		
			कुल भूमि-	0.928		

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

डिण्डौरी, दिनांक 8 मई 2012

क्र. भू-अर्जन-102-(अ-82) 2011-12-310-ए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	सारंगपुर प.ह.नं. 07/15 रा.नि.मं. विक्रमपुर.	नहर कार्य निजी भूमि— 293	0.210	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	सारंगपुर पड़रिया जलाशय शेष नहर कार्य हेतु.
			226	0.312		
			227/2	0.120		
			223	0.435		
			220	0.120		
			219	0.072		
			218	0.090		
			216/1	0.252		
			354	0.276		
			358	0.246		
			357	0.186		
			356	0.060		
			214/1	0.279		
			214/2	0.096		
			213	0.144		
			212	0.120		
			योग निजी भूमि-	3.018		

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-103-(अ-82) 2011-12-311-ए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	ग्वारा प.ह.नं. 07/15 रा.नि.मं. विक्रमपुर.	नहर कार्य निजी भूमि—		कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	सारंगपुर पड़रिया जलाशय नहर कार्य हेतु.
			188	0.150		
			189	0.438		
			190	0.126		
			234	0.102		
			192	0.057		
			193	0.146		
			181/1	0.108		
			181/2	0.060		
			180	0.207		
			196	0.102		
			198	0.012		
			202	0.114		
			204	0.102		
			205	0.060		
			206	0.090		
			207	0.072		
			210	0.015		
			208	0.168		
			209	0.066		
			216	0.078		
			218	0.072		
			217	0.030		
			219	0.342		
			221	0.282		
			222	0.036		
			224	0.096		
			223	0.018		
			249	0.270		
			267	0.156		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			265	0.198		
			264	0.028		
			268	0.110		
			458	0.282		
			457	0.030		
			455	0.048		
			282	0.310		
			452	0.002		
			281/534	0.018		
			283	0.030		
			284	0.030		
			286	0.001		
			287	0.093		
			444	0.042		
			443	0.030		
			442	0.060		
			441	0.020		
			440	0.004		
			435/1	0.065		
			435/2	0.065		
			436/1	0.066		
			436/2	0.114		
			436/3	0.048		
			434	0.080		
			424	0.015		
			425	0.122		
			426	0.085		
			योग निजी भूमि-	5.571		
			शासकीय भूमि-			
			235, 191, 197, 259	0.438		
			सकल योग-	6.0090		

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. वी. रश्मि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 9 मई 2012

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ- -12 पत्र क्र. 1251-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	पथरहटा	1.344	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण संभाग क्र. 07, सतना.	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण परियोजना अंतर्गत बरगी नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ- -12 पत्र क्र. 1252-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	इचौल	2.084	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण संभाग क्र. 07, सतना.	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण परियोजना अंतर्गत बरगी नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ- -12 पत्र क्र. 1253-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	खोह कोठार	7.997	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण संभाग क्र. 07, सतना.	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण परियोजना अंतर्गत बरगी नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ- -12 पत्र क्र. 1254-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	इटहा खोखर्रा	7.345	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण संभाग क्र. 07, सतना.	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण परियोजना अंतर्गत बरगी नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ- -12 पत्र क्र. 1255-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	नरहटी	3.558	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण संभाग क्र. 07, सतना.	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण परियोजना अंतर्गत बरगी नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ- -12 पत्र क्र. 1256-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	मगहनी कला	4.571	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण संभाग क्र. 07, सतना.	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण परियोजना अंतर्गत बरगी नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मनावर, दिनांक 9 मई 2012

क्र. 723-वाचक-प्र.क्र.-15-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	कुवाली पूरक, प.ह.नं.119	3.290	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30, मनावर.	औंकारेश्वर परियोजना की आर. डी. 125860 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 12 की आर. डी. 5060 मी. से आर. डी. 6070 मी. एवं डिस्ट्रीब्यूटरी 13 की लेफ्ट माईनर 1 के बिच नहर निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि.

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 10 मई 2012

क्र. 1156-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	चुरहट	चरहई	0.57	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल संभाग, चुरहट आने, जिला सीधी (म. प्र.).	बागसागर सिंहाल नहर की धुम्मा माइनर की कुस्परी सब माइनर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1158-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	'सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	चुरहट	धुम्मा	0.79	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल संभाग, चुरहट आने, जिला सीधी (म. प्र.).	बागसागर सिहावल नहर की धुम्मा माइनर की कुस्परी सब माइनर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1160-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	चुरहट	धुम्मा	3.52	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल संभाग, चुरहट आने, जिला सीधी (म. प्र.).	बागसागर सिहावल नहर की धुम्मा माइनर की धुम्मा टेल माइनर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1162-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	गड़हरा राघोभान	0.310	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल संभाग, चुरहट आने, जिला सीधी (म. प्र.).	बागसागर शिकारगंज टेल माइनर की धनेसर सब माइनर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1164-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	गड़हरा राघोभान	0.06	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल संभाग, चुरहट आने, जिला सीधी (म. प्र.).	बागसागर शिकारगंज वितरक नहर की टेल के अंतर्गत नहर निर्माण वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1166-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन/	गड़हरा प्रतिपाल सिंह	1.30	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल संभाग, चुरहट आने, जिला सीधी (म. प्र.).	बागसागर शिकारगंज टेल माइनर की धनेसर सब माइनर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1168-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	धनेसर	1.89	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल संभाग, चुरहट आने, जिला सीधी (म. प्र.).	बागसागर शिकारगंज टेल माइनर की धनेसर सब माइनर के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 6 नवम्बर 2010

क्र. 558-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) ग्राम—पहाड़ अर्जुनपुर
(घ) क्षेत्रफल—40.128 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
72, 73, 69/2, 140, 138	1.481
76/2	0.210
76/1	0.061
84	2.153
85, 98/2, 122	10.348
86, 87, 146, 147, 150, 154/1	2.141
89/4	0.126
89/5	0.567
89/6	0.162
89/7	0.121
98/1, 130	1.380
99/1	1.003
100/1, 101/1	0.265
101/2	0.243
115/2, 121/2	0.716
123, 128/2	2.951
126	0.097
127/2	0.389
127/3	0.223
127/4	0.162
127/5	0.020
132, 153/1	2.140
137/1	0.121
148, 152/2	0.405
152/1	0.251
153/2, 106/2	1.044
154/3	0.405
129	3.889
70, 71, 83/1	1.129
कृषकों की भूमि का योग . .	34.203
म. प्र. शासन की भूमि 82, 83/2, 89/2, 99/2, 106/1, 115/1, 120, 121/1, 131, 139, 141, 149	5.925
कुल योग कृषक भूमि+म. प्र. शासन भूमि	40.128

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पननारी बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे एवं बांध का निरीक्षण, कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 3 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 161-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—भुजबई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.27 हैक्टर

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
251	1.23	निजी भूमि
254	0.07	निजी भूमि
252	1.00	निजी भूमि
253/1	2.00	निजी भूमि
253/2	0.84	निजी भूमि
255	0.08	निजी भूमि
207	0.44	निजी भूमि
208	0.16	निजी भूमि
218	0.20	निजी भूमि
219	0.25	निजी भूमि
कुल रकवा निजी भूमि . .	6.27	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रूँझ मध्यम परियोजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 162-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—विश्रामगंज

(घ) लगभग क्षेत्रफल—238.83 हैक्टर

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
308/1	0.21	निजी भूमि
308/3	0.21	निजी भूमि
308/5	0.21	निजी भूमि
314/2	0.11	निजी भूमि
317/2	0.11	निजी भूमि
320	0.39	निजी भूमि
321/3	0.39	निजी भूमि
47/2	0.31	निजी भूमि
296	0.34	निजी भूमि
308/2	0.21	निजी भूमि
308/4	0.21	निजी भूमि
308/6	0.21	निजी भूमि
314/1	0.10	निजी भूमि
317/1	0.11	निजी भूमि
321/1	0.29	निजी भूमि
321/2	0.29	निजी भूमि
321/4	0.21	निजी भूमि
219	0.63	निजी भूमि
376	0.77	निजी भूमि
380	1.23	निजी भूमि
455/2घ	1.40	निजी भूमि
149/2क	0.80	निजी भूमि
149/2ख	0.80	निजी भूमि
411	0.67	निजी भूमि
414	0.34	निजी भूमि
448/2	0.89	निजी भूमि
61/2	0.10	निजी भूमि
101	0.32	निजी भूमि
112	1.05	निजी भूमि
118	0.23	निजी भूमि
120	0.31	निजी भूमि
72	0.66	निजी भूमि
392	0.49	निजी भूमि
50	1.16	निजी भूमि
104	0.97	निजी भूमि
66	0.93	निजी भूमि
387	0.83	निजी भूमि
423	0.30	निजी भूमि
433	0.31	निजी भूमि
12	0.45	निजी भूमि
312	0.18	निजी भूमि
94	0.20	निजी भूमि
95	0.21	निजी भूमि
170	0.86	निजी भूमि
171	0.25	निजी भूमि
172/2	0.70	निजी भूमि
174/1	0.20	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
161	0.35	निजी भूमि	59	0.60	निजी भूमि
165	1.17	निजी भूमि	223	1.43	निजी भूमि
168/2	0.48	निजी भूमि	209	0.93	निजी भूमि
372/2	0.39	निजी भूमि	363/1ख	0.32	निजी भूमि
377	0.16	निजी भूमि	47/3	0.31	निजी भूमि
418	0.09	निजी भूमि	347	0.22	निजी भूमि
419	0.37	निजी भूमि	290/464	0.24	निजी भूमि
429	0.19	निजी भूमि	30/2	0.63	निजी भूमि
119	0.22	निजी भूमि	74/2	0.08	निजी भूमि
128	0.35	निजी भूमि	443	1.16	निजी भूमि
395	0.52	निजी भूमि	157	1.03	निजी भूमि
396	0.43	निजी भूमि	158	0.13	निजी भूमि
110	0.54	निजी भूमि	200	1.00	निजी भूमि
233	0.19	निजी भूमि	236	0.50	निजी भूमि
237	0.35	निजी भूमि	260	0.90	निजी भूमि
342	0.04	निजी भूमि	111	1.59	निजी भूमि
344	1.23	निजी भूमि	361	0.42	निजी भूमि
26/1	0.49	निजी भूमि	123/1	1.14	निजी भूमि
38/1	0.18	निजी भूमि	125	0.04	निजी भूमि
46	0.64	निजी भूमि	17/2	0.14	निजी भूमि
107	0.72	निजी भूमि	19	1.87	निजी भूमि
375	0.73	निजी भूमि	325	0.75	निजी भूमि
20/1	0.12	निजी भूमि	327	0.21	निजी भूमि
24	0.70	निजी भूमि	393	0.20	निजी भूमि
138	1.11	निजी भूमि	429	0.30	निजी भूमि
455/2ग	1.40	निजी भूमि	102/2	1.07	निजी भूमि
456/1	2.00	निजी भूमि	105	0.80	निजी भूमि
98	1.83	निजी भूमि	448/1	2.00	निजी भूमि
36	0.33	निजी भूमि	51	0.36	निजी भूमि
16	0.30	निजी भूमि	135	1.14	निजी भूमि
390	0.40	निजी भूमि	136/2	0.37	निजी भूमि
357/2	0.60	निजी भूमि	372/1	0.39	निजी भूमि
114/2	0.66	निजी भूमि	130	0.17	निजी भूमि
300/3	0.39	निजी भूमि	131/2	0.09	निजी भूमि
79/1	0.80	निजी भूमि	383	0.40	निजी भूमि
126	0.27	निजी भूमि	355	0.13	निजी भूमि
131/3	0.06	निजी भूमि	360	1.01	निजी भूमि
133	0.52	निजी भूमि	29	1.19	निजी भूमि
35	1.22	निजी भूमि	78	0.04	निजी भूमि
354	0.17	निजी भूमि	140	1.08	निजी भूमि
205	0.49	निजी भूमि	127	0.23	निजी भूमि
235	0.54	निजी भूमि	378/1	0.48	निजी भूमि
60	0.41	निजी भूमि	378/2	0.49	निजी भूमि
62/2	0.40	निजी भूमि	391/1	0.41	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
442	0.54	निजी भूमि	267	0.27	निजी भूमि
13	0.32	निजी भूमि	272	1.69	निजी भूमि
315	0.19	निजी भूमि	20/2	0.94	निजी भूमि
393/458	0.20	निजी भूमि	139	0.80	निजी भूमि
429/461/2	0.30	निजी भूमि	379	0.73	निजी भूमि
291	0.18	निजी भूमि	417	0.95	निजी भूमि
293	0.31	निजी भूमि	47/1	0.30	निजी भूमि
324	0.15	निजी भूमि	239	0.39	निजी भूमि
455/2ख	1.40	निजी भूमि	294	0.46	निजी भूमि
30/3	0.62	निजी भूमि	102/1	1.07	निजी भूमि
94/3	0.09	निजी भूमि	255/2क	1.60	निजी भूमि
43	0.44	निजी भूमि	146	0.91	निजी भूमि
357/1	0.15	निजी भूमि	134	1.13	निजी भूमि
30/1	0.63	निजी भूमि	303	1.50	निजी भूमि
74/1	0.08	निजी भूमि	337/2	1.57	निजी भूमि
416	0.44	निजी भूमि	343	0.32	निजी भूमि
326/1	0.15	निजी भूमि	278	0.13	निजी भूमि
174/2	2.00	निजी भूमि	279/1	1.64	निजी भूमि
142	0.91	निजी भूमि	204	0.12	निजी भूमि
353	0.90	निजी भूमि	290/2	0.60	निजी भूमि
356	0.27	निजी भूमि	114/3	0.65	निजी भूमि
55	0.36	निजी भूमि	300/2	0.80	निजी भूमि
26/2	0.49	निजी भूमि	309	0.31	निजी भूमि
38/2	0.19	निजी भूमि	438/1	0.78	निजी भूमि
393/459	0.20	निजी भूमि	126	0.27	निजी भूमि
429/462	0.25	निजी भूमि	131/3	0.06	निजी भूमि
69	1.14	निजी भूमि	133	0.52	निजी भूमि
305	0.48	निजी भूमि	292	0.16	निजी भूमि
307	0.29	निजी भूमि	295	0.76	निजी भूमि
311	1.06	निजी भूमि	297	0.38	निजी भूमि
420	0.14	निजी भूमि	319	0.46	निजी भूमि
393/460	0.20	निजी भूमि	323	0.34	निजी भूमि
429/463	0.40	निजी भूमि	326/2	0.46	निजी भूमि
116	0.97	निजी भूमि	225	0.04	निजी भूमि
290/1	0.20	निजी भूमि	228	0.11	निजी भूमि
298	0.31	निजी भूमि	241	0.14	निजी भूमि
252	0.58	निजी भूमि	255	0.05	निजी भूमि
253	0.58	निजी भूमि	257	1.55	निजी भूमि
222	0.03	निजी भूमि	287	1.51	निजी भूमि
226	1.43	निजी भूमि	289	1.01	निजी भूमि
263/1/2ख	0.32	निजी भूमि	189/2क	0.17	निजी भूमि
446	0.82	निजी भूमि	206	1.18	निजी भूमि
62/1	0.75	निजी भूमि	264	0.11	निजी भूमि
438/2	0.79	निजी भूमि	237/1क	1.00	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
370	1.40	निजी भूमि	237/1	2.00	निजी भूमि
440	1.05	निजी भूमि	79/1	0.81	निजी भूमि
398/2	1.04	निजी भूमि	397	0.61	निजी भूमि
434	1.80	निजी भूमि	398/1	0.42	निजी भूमि
45	0.58	निजी भूमि	403	1.15	निजी भूमि
385	1.25	निजी भूमि	42	0.03	निजी भूमि
99	0.89	निजी भूमि	43	1.37	निजी भूमि
114/1	0.20	निजी भूमि	44	0.44	निजी भूमि
121	1.19	निजी भूमि	65	0.34	निजी भूमि
300/1	0.39	निजी भूमि	362	0.68	निजी भूमि
227	0.05	निजी भूमि	366	2.34	निजी भूमि
229	1.44	निजी भूमि	49	1.52	निजी भूमि
242	0.15	निजी भूमि	54	0.13	निजी भूमि
254	0.06	निजी भूमि	58	0.44	निजी भूमि
256	1.55	निजी भूमि	103	0.76	निजी भूमि
285	0.03	निजी भूमि	106	0.67	निजी भूमि
286	1.50	निजी भूमि	6	1.50	निजी भूमि
288	1.00	निजी भूमि	7	0.33	निजी भूमि
40	0.52	निजी भूमि	8	1.87	निजी भूमि
41	1.74	निजी भूमि	9	0.55	निजी भूमि
64	0.04	निजी भूमि	232	0.85	निजी भूमि
202	1.63	निजी भूमि	234	0.02	निजी भूमि
203	0.47	निजी भूमि	243	0.32	निजी भूमि
211	0.04	निजी भूमि	244	0.09	निजी भूमि
263/1क	0.64	निजी भूमि	245/1	1.49	निजी भूमि
302	0.92	निजी भूमि	247	0.12	निजी भूमि
348	2.86	निजी भूमि	248	2.20	निजी भूमि
251	0.62	निजी भूमि	270	0.05	निजी भूमि
259	1.14	निजी भूमि	271	0.16	निजी भूमि
313	0.31	निजी भूमि	276	0.05	निजी भूमि
334	1.36	निजी भूमि	277	1.96	निजी भूमि
369	0.31	निजी भूमि	306	0.47	निजी भूमि
373	0.44	निजी भूमि	113	1.51	निजी भूमि
374	0.29	निजी भूमि	316	0.55	निजी भूमि
386	1.20	निजी भूमि	329	0.01	निजी भूमि
182/1	0.13	निजी भूमि	330	1.53	निजी भूमि
187/1	0.66	निजी भूमि	409	0.27	निजी भूमि
249	0.14	निजी भूमि	424	1.30	निजी भूमि
250	1.62	निजी भूमि	426	0.54	निजी भूमि
280	0.09	निजी भूमि	430	0.45	निजी भूमि
281	0.52	निजी भूमि	449	0.60	निजी भूमि
275	1.70	निजी भूमि	195	1.50	निजी भूमि
149/1	1.77	निजी भूमि	196	0.01	निजी भूमि
263/1क	0.64	निजी भूमि	201	0.24	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
194	0.03	निजी भूमि
215	1.04	निजी भूमि
216	1.96	निजी भूमि
217	0.46	निजी भूमि
238	0.71	निजी भूमि
279/2	0.38	निजी भूमि
96	0.40	निजी भूमि
282	0.26	निजी भूमि
283	0.09	निजी भूमि
284	1.07	निजी भूमि
258/457	0.98	निजी भूमि
23	1.69	निजी भूमि
231	0.04	निजी भूमि
258	1.06	निजी भूमि
268	0.06	निजी भूमि
265	0.48	निजी भूमि
266	0.04	निजी भूमि
290	0.65	निजी भूमि
304	0.40	निजी भूमि
335	0.07	निजी भूमि
336	4.29	निजी भूमि
338	0.58	निजी भूमि
339	0.71	निजी भूमि
147/2	1.58	निजी भूमि
160/2	0.38	निजी भूमि
207/2	0.67	निजी भूमि
240/2	0.46	निजी भूमि
261/2	0.25	निजी भूमि
269/2	0.10	निजी भूमि
76	0.68	निजी भूमि
87	0.68	निजी भूमि
90	0.84	निजी भूमि
91	0.10	निजी भूमि
151	0.54	निजी भूमि
218	0.47	निजी भूमि
384	0.80	निजी भूमि
182/1	0.13	निजी भूमि
187/1	0.66	निजी भूमि
147/1	1.57	निजी भूमि
159	0.06	निजी भूमि
160/1	0.32	निजी भूमि
207/1	0.67	निजी भूमि
240/1	0.47	निजी भूमि
261/1	0.26	निजी भूमि
269/1	0.10	निजी भूमि
149/3	0.36	निजी भूमि
150	0.21	निजी भूमि
156	0.16	निजी भूमि
162	0.53	निजी भूमि
208	0.43	निजी भूमि
263/1क	0.61	निजी भूमि
301	0.61	निजी भूमि
337/1क	0.99	निजी भूमि
212	0.81	निजी भूमि
299	0.31	निजी भूमि
63	1.11	निजी भूमि
153	0.24	निजी भूमि
154	0.06	निजी भूमि
155	0.15	निजी भूमि
15	0.36	निजी भूमि
21	0.08	निजी भूमि
92	0.36	निजी भूमि
182/1	0.13	निजी भूमि
220	0.70	निजी भूमि
229	0.65	निजी भूमि
369/1	0.21	निजी भूमि
374/2	0.25	निजी भूमि
386/3	0.29	निजी भूमि
369/2	0.10	निजी भूमि
373/1	0.20	निजी भूमि
374/1	0.04	निजी भूमि
386/1	0.40	निजी भूमि
373/2	0.24	निजी भूमि
386/2	0.50	निजी भूमि
कुल रकवा निजी भूमि. .	238.83	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—रूँझ मध्यम परियोजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 24 अप्रैल 2012

क्र. 04-11-12-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—करैरा
(ग) नगर/ग्राम—अमोला
(घ) कुल क्षेत्रफल—8.11 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
781	0.20
663	3.34
685	4.05
779	0.52
योग . .	: 8.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—मड़ीखेड़ा बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश, जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जॉन किंग्सली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 24 अप्रैल 2012

क्र. भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन की आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—देवरी
(ग) ग्राम—रीछई प. ह. नं. 28
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.98 हेक्टर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
199	0.16
200	0.41
201/1	0.55
202	0.32
203	0.07
204/1	0.08
206	0.14
207	0.10
208	0.09
209	0.36
210/3	0.05
231	0.23
232/2	0.18
232/3	0.18
233	0.30
234/1	0.18
356	0.06
358/2	0.06
359/1	0.16
359/2	0.20
361	0.12
386	0.30
387/2	0.23
387/3	0.07
381/1	0.56
415/3	0.30
416/3	0.03
472	0.23
473	0.22
478/3	0.02
385/1	0.02
योग :	5.98

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—समनापुर जलाशय योजना के नहर निर्माण क्षेत्र हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन की आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—देवरी

(ग) ग्राम—विलगुवाँ, प. ह. नं. 28

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.79 हेक्टर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
50/1	0.01
59/2	0.02
53/1	0.77
54/4	0.38
54/5	0.06
60	0.55
योग :	1.79

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—समनापुर जलाशय योजना के नहर निर्माण क्षेत्र हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन की आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—देवरी

(ग) ग्राम—टूडरी, प. ह. नं. 30

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.62 हेक्टर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2/1	0.19
2/2	0.08
3/2	0.05
3/3	0.12
27	0.18
योग :	0.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—समनापुर जलाशय योजना के नहर निर्माण क्षेत्र हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 1 मई 2012

क्र. क-प्र.भू-अर्जन-02 अ-82-वर्ष 11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन की आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—अशासकीय भूमि का अर्जन

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—सागर

(ग) ग्राम—डुगासरा प. ह. नं. 98

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.63 हेक्टर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
896	0.02
897	0.02
879	0.02
883	0.38
907	0.04
910	0.07
911	0.08
योग :	0.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—औद्योगिक क्षेत्र सिदगुवां जलप्रदाय योजना हेतु कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, परियोजना खण्ड सागर (म. प्र.).

(3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 25 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 10 अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—दमोह
(ग) ग्राम—दमोह खास
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1793.37 (वर्गमीटर में)

ख. नं. प्लाट नम्बर	अधिग्रहण किये जाने वाला रकवा वर्गमीटर में
(1)	(2)
14/108 में से	7.83
14/108 में से	8.93
14/108 में से	8.16
14/108 में से	8.16
14/108 में से	8.93
14/106 में से	7.53
14/107 में से	10.28
14/107 में से	10.13
14/107 में से	10.13
39/2 में से	12.15
38 में से	15.28
38 में से	26.25
45/1 मे से,	22.95
22/2 में से, 23/1 में से	107.31
14/109 में से	9.63
14/109 में से	6.48
14/109 में से	8.25
(1)	(2)
14/109 में से	6.75
14/134 में से	8.05
14/110 में से	4.50
14/110 में से	11.90
14/110 में से	13.07
14/110 में से	14.50
14/110 में से	8.75
14/110 में से	17.25
14/110 में से	3.40
14/110 में से	8.33
14/110 में से	12.80
14/195 में से	27.40
22/1 में से	75.80
17/191 में से	18.75
17/191 में से	25.00
14/125 में से	9.75
14/125 में से	5.04
17/43 ख (1) में से	5.16
	8.60
17/43 ख (1) में से	37.80
	18.90
67 में से	251.00
17/82 में से	12.75
17/82 में से	8.96
17/82 में से	14.53
17/83 में से	27.45
17/84 अ में से	12.12
17/85 अ में से	5.78
17/85 अ में से	3.69
17/85 स में से	3.74
17/86 ग में से	17.00
17/87 ग में से	16.30
68/2 में से	4.60
68/2 में से	6.00
68/2 में से	8.20
17/85 ब में से	8.50
17/85 ब में से	8.44
14/90 में से	4.40
17/1 क में से	10.40
17/1 क में से	6.20
17/1 क में से	15.20
17/1 क में से	9.25
17/1 क में से	28.80
17/1 क में से	10.40

(1)	(2)
17/1 क में से	2.90
20/24 में से	18.30
20/24 में से	6.30
20/24 में से	11.25
17/90 में से	12.38
17/90 में से	5.10
17/90 में से	24.00
17/118 में से	9.30
17/72 में से	21.00
17/72 में से	3.00
20/13 में से	18.90
20/14 में से	21.96
136/3 में से	9.50
142/148 में से 142/149 में से	19.00
142/149 ख में से	10.95
142/150 क में से	14.40
142/150 क में से	13.30
140/25 में से	3.26
140/27 में से	12.23
140/9 में से	6.15
140/10 में से	13.88
140/11 में से	13.50
140/12 में से	13.80
140/13 में से	13.80
140/20 में से	49.00
163/4 में से	68.00
163/5 में से	90.00
163/1 में से	25.00
147/4 में से	14.00
147/11 में से	93.00
150/2 में से	31.00
150/1 में से	0.81
150/4 में से	0.81
योग :	1793.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—जबलपुर दमोह मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दमोह एवं संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पो. लि. जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 16 अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह

(ख) तहसील—पटेरा/हटा

(ग) नगर/ग्राम—मोहरा, बधां, महुआखेडा, इमलिया रावत

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.73 (हेक्टर में)

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—मोहरा	
83 में से	0.22
84/1 में से	0.30
84/4 में से	0.20
85 में से	0.10
140/1 में से	0.09
ग्राम—बधां	
140/2 में से	0.16
153/2 में से	0.20
154/1 में से	0.30
154/2 में से	0.05
160 में से	0.17
381	0.07
359 में से	0.02
ग्राम—महुआखेडा	
358 में से	0.04
355 में से	0.10
354 में से	0.08
356/1 में से	0.10
369 में से	0.03
254/2 में से	0.05
258/2 में से	0.08
258/3 में से	0.07
259/2 में से	0.08
252/1 में से	0.13
252/6 में से	0.13
270/1 में से	0.02
264/5 में से	0.02
264/2 में से	0.05
264/4 में से	0.04
265/2 में से	0.14
270/2 में से	0.07

(1)	(2)
269 में से	0.08
268 में से	0.01
282/1 में से	0.53
योग :	3.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—बंधा इमलिया-रसीलपुर-महेबा मार्ग योजना निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग दमोह जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 02-अ-82 वर्ष 2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 17-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) ग्राम—पलोहाबड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.420 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
513	0.052
514	0.008
515/1	0.036
520/1	0.144
517/1	0.064
495	0.044
494	0.096
496/1, 497/1	0.052
496/3, 497/3	0.020
498/2, 499	0.010
566/1, 570/2	0.056
566/2	0.020
567	0.064
568/1, 569/1	0.044
566/3	0.020
568/2	0.020
569/2	0.024
570/3	—
585/1	0.072
585/7	0.024
700	0.008
704	0.030
705/1	0.044
705/2	—
705/3	—
706	—
707	0.010
708	—
709	0.010
710	—
717	0.008
718	0.008
719	0.004
720	0.010
203	—
204	—
721	0.024
722/1	0.008
723	0.010
724	0.024
739/1	0.008

(1)	(2)
730/1	0.008
730/2	0.008
731	—
726	0.008
420	0.048
714	—
715	0.012
423/2ख, 424/1	0.020
424/2	0.016
424/3	0.020
424/4, 424/5	0.024
493/1, 493/3	0.096
585/2	0.032
585/5	0.028
585/6	0.024
कुल योग :	1.420

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है—पलोहाबड़ा-अमोदा-उल्थन मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82 वर्ष 2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 17-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर

(ख) तहसील—गाडरवारा

(ग) ग्राम—कान्हरगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.937 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
8/1	0.020
10/1	0.064
10/2	0.084
22/2क	0.028
22/2ग	0.044
22/1क	0.076
22/1ख	0.068
22/3	0.044
24/3	0.048
24/2	0.048
24/5	0.060
31/2	0.032
31/3	0.064
32/2, 39/1क, 39/1ख	0.141
39/3	0.036
39/4क, 44/4क, 39/4ग, 44/4ग	0.036
39/5क, 44/3क	0.032
39/6ख, 44/2ख	0.040
39/7क, 44/1क	0.036
80/1	0.072
81	0.084
194/1	0.088
194/2	0.020
194/3	0.008
211	0.052
212	0.116
214	0.048
216/1	0.028
216/2	0.028
191	0.040
190/1	0.036
190/3	0.012
188/1	0.004
188/2	0.012
188/3	0.012
188/4	0.012
186	0.084
185	0.036
184/2	0.048
133/7	0.012
133/8	0.008
198/1	0.036
198/2, 198/3	0.024
198/4	0.016
कुल योग :	1.937

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कान्हरगांव-महगुवांकला-आड़ेगांव मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82 वर्ष 2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 17-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) ग्राम—सूखाखैरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.088 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
390	0.028
391	0.016
392/1	0.006
392/3	0.004
386	0.006
387/2	0.010
388/1	0.016
388/2	0.002
कुल योग :	0.088

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सूखाखैरी-चीचली मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 05-अ-82 वर्ष 2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 17-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इंस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) ग्राम—चीचली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.287 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
109/1	0.004
110/1	0.020
101/4	0.008
101/2	0.006
101/3	0.012
98/3	0.020
100	0.006
87/4	0.006
86/2	0.012
85/3	0.004
86/1,	—
85/6	0.008
85/8	—
85/7	0.008
85/1	0.012
85/2	—
218/1	0.004
220/1	0.012
218/4	0.004
218/2	0.006
218/3	0.008
132	0.016
131/1	0.012
88/1, 88/2	0.009
89/1	0.004
98/1	0.006
127/3	0.008
131/2	0.010
127/1	0.008
126	0.016
119/2	0.006
119/1	0.006
112/2	0.010
119/3	0.004
112/1	0.008
127/2	0.004
योग :	0.287

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सूखाखैरी-चीचली मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता हैं.

प्र. क्र. 07-अ-82 वर्ष 2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 17-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर

(ख) तहसील—गाडरवारा

(ग) ग्राम—काकरकुईया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.066 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
74/1	0.016
74/2	0.006
75	0.032
76/3	0.012
योग :	0.066

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—करपगांव-खमरिया-आमगांव बड़ा मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 08-अ-82 वर्ष 2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 17-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर

(ख) तहसील—गाडरवारा

(ग) ग्राम—खमरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.531हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
35/1	0.010
35/2-3	0.016
40/2	0.050
53	0.006
58/1	0.050
59/1	0.054
55/2	0.020
55/1	0.014
59/2, 59/3, 60	0.048
73	0.052
40/2, 41/5	0.012
40/3, 41/7	0.018
40/4, 41/9	0.020
39/1, 41/1	0.034
36/1, 36/2	0.004
76/1, 77/1, 79/1	0.044
40/1, 41/2	0.018
76/2, 76/3, 77/2, 79/2, 79/3	0.061
कुल योग :	0.531

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—करपगांव-खमरिया-आमगांवबड़ा मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 09-अ-82 वर्ष 2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 17-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर

(ख) तहसील—गाडरवारा

(ग) ग्राम—चीकसा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.211 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
5/1ग	0.017
7-8-9	0.072
6	0.012
10-11	0.097
88/1	0.044
89/5	0.008

(1)	(2)
87/1	0.061
86/2	0.058
87/2	0.008
13	0.041
15/1-2	0.084
38/1-2	0.045
83/1, 84, 85, 110/1	0.040
86/1	0.008
60/2-3	0.004
72/1, 72/2, 72/4	0.045
38/3	0.036
41/1	0.093
41/4	0.008
34/2, 34/3, 35	0.056
37	0.052
43	0.041
44/1-2	0.056
60/1	0.052
72/3	0.036
33	0.101
36/1-2	0.036
कुल योग :	1.211

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—करपगांव-खमरिया-आमगांव बड़ा मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 01-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—राजनगर

(ग) नगर/ग्राम—जटकरा (चतुर्भुज स्मारक)

(घ) लगभग क्षेत्रफल —23.148 हेक्टेयर

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
421/1	0.058
434/1/1	0.647
421/2	0.059
434/1/2	0.648
422/1	0.033
434/1/3	0.129
422/2	0.035
434/1/4	0.129
422/3	0.032
434/1/5	0.129
422/4	0.032
434/1/6	0.132
422/5	0.033
434/1/7	0.129
422/6	0.021
434/1/8	0.149
422/7	0.04
434/1/9	0.161
422/8	0.041
434/1/10	0.161
422/9	0.041
434/1/11	0.161
434/2	0.015
435/1	1.902
435/2/1	0.434
435/2/2	0.434
435/2/3	0.435
435/3/1	0.367
435/3/2	0.367
435/3/3	0.367

(1)	(2)
435/4	1.789
436/1	0.702
436/2	0.702
436/3	1.404
498/1	1.416
498/2/1	0.461
498/2/2	0.461
498/2/3	0.462
499/1/1	0.967
499/1/2	1.034
499/2	2.068
525	3.905
527/1	0.22
527/2	0.22
कुल योग..	23.148

(2) चतुर्भुज स्मारक के चतुर्दिक सुरक्षा एवं विकासात्मक कार्यों हेतु भूमि की आवश्यकता है. भूमि नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, भू-अर्जन कार्यालय एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 30 अप्रैल 2012

क्र. 7684-भू-अर्जन-2012-**संशोधित.**—ऑटो टेस्टिंग ट्रेक की स्थापना से प्रभावित ग्रामों के निवासियों के आवागमन के लिये रास्ते के निर्माण से प्रभावित ग्राम कल्याणसीखेड़ी तहसील व जिला धार की क्षेत्रफल 0.115 हेक्टर निजी भूमि के अधिग्रहण के लिये भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 06 के अन्तर्गत उद्घोषणा क्रमांक 15477/भू-अर्जन 2010, दिनांक 4 नवम्बर 2010 जारी की गई थी. उक्त उद्घोषणा का प्रकाशन (म. प्र. राजपत्र) भाग-1 में 03 दिसम्बर 2010 को पृष्ठ क्रमांक 3297-98 पर हुआ है. इसके अतिरिक्त समाचार-पत्र अपनी दुनिया में दिनांक 25 नवम्बर 2010 एवं नवभारत में दिनांक 25 नवम्बर 2010 को हुआ है:—

उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे

प्रकाशित हुआ			संशोधन उपरांत पढ़ा जावे		
क्रमांक	सर्वे नम्बर निजी	अर्जित रकबा (हेक्टर)	क्रमांक	सर्वे नम्बर निजी	अर्जित रकबा (हेक्टर)
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
4	23/1/2	0.010	4	23/1/3	0.010

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 1 मई 2012

प्र. क्र. 07-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—द्वारिकागंज
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.37 (हेक्टर)

सर्वे क्र.	सर्वे क्र. का कुल रकबा (हे. में)	नहर में आने वाले क्षेत्र का रकवा (हे. में)	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति
(1)	(2)	(3)	(4)	
		Tiholi Minor		
353/1 व 2	0.64	0.10	निजी	
354	1.08	0.01	निजी	
359	0.96	0.16	निजी	यह जमीन सिंचित है.
360	0.40	0.13	निजी	
318	0.56	0.20	निजी	
268	0.47	0.18	निजी	
270	0.43	0.10	निजी	
271	0.24	0.06	निजी	
251		0.08	निजी	
248	0.84	0.14	निजी	
238	0.17	0.06	निजी	
239	0.13	0.03	निजी	
230	0.21	0.23	निजी	यह जमीन सिंचित है.
210	1.55	0.21	निजी	यह जमीन सिंचित है.

(1)	(2)	(3)	(4)	
206	0.97	0.14	निजी	यह जमीन सिंचित है.
205	0.88	0.05	निजी	यह जमीन सिंचित है.
203	0.47	0.05	निजी	यह जमीन सिंचित है.
202	0.47	0.06	निजी	यह जमीन सिंचित है.
200	0.47	0.06	निजी	
199	0.47	0.06	निजी	यह जमीन सिंचित है.
179	0.30	0.01	निजी	यह जमीन सिंचित है.
171	0.24	0.12	निजी	यह जमीन सिंचित है.
169	0.48	0.08	निजी	यह जमीन सिंचित है.
172	0.07	0.03	निजी	यह जमीन सिंचित है.
166	0.01	0.01	निजी	यह जमीन सिंचित है.
175	0.07	0.01	निजी	यह जमीन सिंचित है.
	योग . .	2.37		

नोट.—भूमि का नक्शा, (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि का आवश्यकता है.—सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की टिहौली शाखा नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 5 मई 2012

प्र. क्र. 32-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—चीनौर

(ग) ग्राम—गूजर बनवारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.362 हैक्टर.

सर्वे क्रमांक	सर्वे क्रमांक का कुल रकबा (हे. में.)	नहर/तालाब में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	
409	0.627	0.082
410	0.073	0.028
423	0.470	0.128
441	0.167	0.032
440	0.178	0.032
438	0.345	0.054
437	0.345	0.054
436	0.585	0.117
435	0.512	0.064
449	0.637	0.008
450	0.617	0.128
455/1	0.355	0.163
455/2	0.366	
457/2	0.627	0.082
465	0.679	0.200
459	1.641	0.055
464	0.335	0.064
461	1.003	0.071
	कुल योग . .	1.362

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—हिम्मतगढ़ तालाब योजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 33-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—चीनौर

(ग) ग्राम—रजौआ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.454 हैक्टर.

सर्वे क्रमांक	सर्वे क्रमांक का कुल रकबा (हे. में.)	तालाब में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	
1/1	0.742	0.274
1/2	0.396	0.137
76क	2.108	0.274
76ख	2.108	0.274
8	1.045	0.288
9/1	0.679	0.055
9/2	0.679	0.062
9/3	0.679	0.068
13/1	5.090	0.022
	कुल योग . .	1.454

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—हिम्मतगढ़ तालाब योजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 34-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—चीनौर

(ग) ग्राम—मऊछ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.601 हैक्टर.

सर्वे नम्बर	सर्वे नम्बर का कुल रकबा (हे. में.)	भू-अर्जन हेतु नहर में आने वाला रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	
593	0.272	0.064
594/1	0.679	0.088
594/2	0.418	
595	0.418	0.075
598	0.690	0.050
599	0.324	0.137
600	0.324	0.050
601	0.836	0.137
	कुल योग . .	0.601

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—हिम्मतगढ़ तालाब योजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 35-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—चीनौर

(ग) ग्राम—बनवार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.453 हैक्टर.

सर्वे नम्बर	सर्वे नम्बर का कुल रकबा (हे. में.)	भू-अर्जन हेतु नहर में आने वाला रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	
32/1	0.439	
32/2	0.439	0.031
32/3	0.439	
33	1.150	0.314
34/मिन 1	0.444	
34/मिन 2	0.444	0.188
35/1	0.390	
35/2 मिन 1	0.351	0.157
35/मिन 2	0.523	
38	0.763	0.042
39/1	1.348	
39/2	1.348	0.209

(1)	(2)	
128	1.317	0.136
261	0.564	0.01
262	0.690	0.240
263/मिन1	0.010	
263/मिन2	0.021	0.021
263/मिन3	0.021	
264	0.376	0.063
267/1	0.491	
267/2	0.491	0.042
निजी कुल रकबा	12.059	1.453

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—हिम्मतगढ़ तालाब योजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 36-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—चीनौर

(ग) ग्राम—रिछैरा

(घ) क्षेत्रफल—1.506 हैक्टर.

सर्वे नम्बर	सर्वे नम्बर का कुल रकबा (हे. में.)	भू-अर्जन हेतु नहर में आने वाला रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	
307	0.408	0.090
301	0.491	0.074
295	0.396	0.164
296	0.105	0.064
280	0.878	0.046
281	0.449	0.110
282	0.721	0.110
283	0.314	0.082
286	0.293	0.054
227	0.063	0.015
228	0.782	0.015
229	0.418	0.088
230	0.700	0.108
252 मिन-1	0.109	
252 मिन-2	0.400	0.256
252 मिन-3	0.400	
253	0.826	0.230
	कुल . .	1.506

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—हिम्मतगढ़ तालाब योजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 4 मई 2012

प्र. क्र. 5 अ-82 वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-3756.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि का, अनुसूची पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल

(ख) तहसील—मुलताई

(ग) नगर/ग्राम—बघोली बुजूर्ग, पटवारी हल्का नम्बर 50

(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.682 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
41/8	0.155
35/1	0.008
41/7	0.004
71/1	0.055
71/6	0.084
71/7	0.181
71/8	0.018

(1)	(2)
72	0.142
73/5	0.042
73/6	0.011
73/2	0.046
73/1	0.053
33/2	0.144
74	0.353
194	0.204
364/5	0.092
364/9	0.118
364/11	0.046
364/7	0.083
364/6	0.164
364/8	0.030
364/10	0.060
364/12	0.070
378	0.065
403	0.216
406	0.030
374	0.020
396	0.070
393	0.070
391	0.238
392	0.043
390	0.206
389	0.242
388	0.090
379	0.101
404	0.286
367	0.032
41/6	0.081
41/9	0.023
399/2	0.079
398/1	0.044
398/2	0.044
399/1	0.040
399/3	0.039
433/3	0.125
433/4	0.200
70	0.046
69	0.186
68/2	0.195
77/3	0.050
77/4	0.091
77/5	0.056
77/6	0.042
176	0.010
190/1	0.113
164/4	0.065
164/5	0.012
190/2	0.111
189/2	0.049
190/3	0.070
190/4	0.010
164/3	0.058
184/2	0.100
184/3	0.023
164/6	0.015
184/1	0.102
188/6	0.186
188/5	0.065
144	0.135
146	0.070
145	0.096
147	0.088
183	0.200
164/1	0.072
165/1	0.223
415	0.093
418/2	0.046
418/1	0.125
165/6	0.063
71/3	0.181
68/1	0.088
कुल योग :	7.682

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बघोली लघु जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 7 अ-82 वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-3757.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—भैंसदेही
(ग) नगर/ग्राम—झल्लार, पटवारी हल्का नम्बर 23
(घ) लगभग क्षेत्रफल—33.442 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
242	2.003
243	1.319
240/1	2.157
240/7	2.000
240/11	0.051
258	1.433
301	0.263
304/2	1.011
305/2	0.810
304/3 | 305/3	3.237
302	2.270
267/2	1.247
267/3	1.400
267/7	0.040
267/5	0.781
255/1	1.238
255/2	0.060
240/6	0.041
303/1	0.531
303/2	0.421
189/48 | 189/26	1.157
200/1	0.113
200/3	0.081
200/2	0.259
189/1	0.507
240/8	0.146
241	0.588
244/1	0.643
240/5	0.619
240/10	1.879
240/13	0.550
244/3	1.178
245	0.557
246/1	0.291
246/2	0.328
252/2	0.260
254/2	0.377
254/3	0.040
264/4	0.150
264/1	0.069
264/3	0.069
570/1	0.206
60/1 | 290/2 | 261/4 | 262/1 | 263 | 265	0.145
270/2	0.129
569	0.113
571/1	0.21
574	0.186
585	0.008
586	0.271
कुल योग :	33.442

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—रामजीढाना जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 8 अ-82 वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-3755.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—भैसदेही
(ग) नगर/ग्राम—बोथिया, पटवारी हल्का नम्बर 23
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.368 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
15/1	0.089
15/3	0.158
15/7	0.121
कुल योग :	0.368

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—रामजीढाना जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 4 मई 2012

प्र. क्र. 11-ए-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—शमशाबाद

(ग) ग्राम—लखार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.813 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
140	0.243
139/7	0.429
138/2	0.068
346	0.058
347	0.015
योग . .	0.813

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12-ए-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—शमशाबाद

(ग) ग्राम—सतपाडा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.148 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
34	0.039
39	0.113
82/2	0.044
72	0.028
100	0.033
167	0.110
208	0.286
181	0.102
4/2	0.121
211/1	0.078
211/2/1	0.043
202	0.044
502/1/1	0.041
502/2/1	0.397
171/2	0.078
210	0.078
42	0.249
43	0.065
168/2	0.022
172/1/2	0.105
171/1	0.395
170	0.136
261	0.091
262/1	0.253
249/1	0.196
248/1/1	0.086

(1)	(2)
248/1/2	0.086
248/2	0.156
248/3	0.044
314	0.308
313	0.021
312/1	0.253
312/2	0.018
311	0.098
318/1	0.055
349/1/1/1	0.242
349/1/2	0.138
349/2	0.110
332	0.086
341/2	0.136
334/1	0.242
335	0.364
336/4	0.105
438/1/2/2	0.118
438/2/1	0.019
585/1	0.249
582/2	0.067
योग . .	6.148

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है.

विदिशा, दिनांक 7 मई 2012

प्र. क्र. 5-अ-82-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि की नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—कुरवाई

(ग) ग्राम—पाडौछा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.131 हेक्टर.

आराजी नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
8	0.015
9	4.974
10	0.021
15/2	0.015
19/2	0.052
20	0.207
12	0.077
11	0.052
13	0.242
14	0.146
5/1/2ख	0.094
15/1	0.026
16/1	0.141
4/3/2	0.045
17	0.167
4/4	0.098
19/1	0.063
24	0.038
25	0.038
5/1/2 ग	0.026
4/3/1	0.052
16/2	0.018
21/1	0.073
21/2	0.088
34/1	0.007
33/1	0.045
33/2	0.085
32	0.039
23/1	0.162
23/2	0.036
30/2	0.090
38/3/4ग	0.150
38/3/4ख	0.182
38/3/4 क	0.182
69/1/1	0.167
69/2	0.136
68/2	0.047
64/2	0.140
65	0.078

(1)	(2)
66	0.052
78/3	0.022
78/4/2	0.180
352/1	0.029
227/3/1	0.303, 0.017
351	0.125
353	0.063
214/1/1	0.063
211	0.078
210	0.070
213	0.155
212	0.125
214/2	0.188
221	0.195
222/3	0.031
231	0.052
233/1	0.105
232/1	0.090
233/1	0.042
245/2	0.078
246	0.084
253	0.168
254	0.784
67	0.147
255	0.021
256	0.115
315/2	0.031
314/2	0.066
314/1	0.058
313	0.025
315/1	0.063
312/2/2	0.060
321	0.110
317/1/2	0.052
320/1	0.060
248	0.199
319	0.010
318/2	0.120
317/1/1	0.073
312/2/1क	0.010
346	0.063
349/2/1	0.021
350	0.094
403/2/1	0.130
403/1	0.031
78/2/1	0.052
78/1	0.084
354/2	0.084
78/4/1	0.105
249	0.136
योग . .	8.131

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—लायरा-खिरिया मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—कुरवाई
(ग) ग्राम—लायरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.640 हेक्टर.

आराजी नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
621/1	0.105
623/1	0.031
629/2/1	0.037
24/1	0.042
629/1	0.105
5	0.090
6	0.031
26	0.038
27/1	0.115
626	0.031
27/2	0.015
योग . .	0.640

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—लायरा-खिरिया मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 7-अ-82-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—कुरवाई
(ग) ग्राम—खिरिया तरफदार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.922 हेक्टर.

आराजी नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
105	0.241
110/2क	0.216
110/2ज	0.031
116	0.285
110/2ख	0.216
192/2	0.021
125/1	0.121
125/2	0.125
181	0.105
179	0.361
191/1	0.011
191/2	0.036
178/2	0.056
191/2	0.010
196/1	0.015
196/2/1	0.010
177/1	0.040
177/2	0.010
220	0.010
227	0.029
195	0.012
259/1	0.032
252/2	0.026
218	0.064
231	0.105
229	0.022
228/1	0.011
228/2	0.020
243/2	0.010
259/2	0.029
252/1/1	0.010
252/1/2	0.051
253/1	0.209
253/2	0.042
254	0.032
261	0.040
263/1	0.061
255/2/2	0.010
263/2	0.016
255/3/5	0.052
257	0.060
255/3/3	0.052
255/5/1	0.052
योग . .	2.922

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—लायरा-खिरिया मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 8-अ-82-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—कुरवाई
(ग) ग्राम—माडल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.723 हेक्टर.

आराजी नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
3251/1	0.071
3251/2	0.071
326/1	0.102
344	0.121
345	0.021
346	0.042
326/2	0.052

(1)	(2)
347	0.052
360	0.095
361	0.010
364	0.168
366	0.157
367	0.132
370/1/2	0.021
370/2/1	0.021
370/2/2	0.021
370/2/3	0.040
428/2	0.040
429	0.031
370/3	0.031
428/1	0.082
393	0.152
425	0.082
426	0.077
388	0.103
389	0.032
390	0.100
391	0.100
392/1	0.049
392/2	0.049
419	0.081
417/2	0.178
420/2	0.104
396/1ग	0.036
396/2	0.036
417/1	0.087
418	0.132
407/2	0.178
400/549	0.059
407/1/4	0.080
408/2/1	0.103
407/1/2	0.104
408/2/2	0.105
411	0.077
414/2/1	0.168
420/1	0.070
योग . .	3.723

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—लायरा-खिरिया मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 9-अ-82-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—कुरवाई
(ग) ग्राम—बन्डोरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.971 हेक्टर.

आराजी नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
208	0.042
207	0.105
229	0.062
210	0.152
211/2	0.072
227	0.052
250	0.010
231	0.062
239	0.072
240	0.062
241/2/1	0.050
241/2/2	0.052
249	0.065
251	0.032
256/1	0.010
256/2	0.031
256/3	0.040
योग . .	0.971

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—लायरा-खिरिया मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—कुरवाई
(ग) ग्राम—अखाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.020 हेक्टर.

आराजी नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
22	0.097
23	0.052
24	0.281
31	0.021
20/1/2	0.052
25	0.209
26/1	0.152
58/1 क	0.011
58/1 ख	0.100
14/2	0.105
19	0.045
15/8क	0.045
14/1	0.052
11	0.012
71	0.051
72	0.010
59/1	0.032
59/2	0.032
69	0.105
167/2/1	0.040
159	0.045
126	0.077
140	0.012
141	0.006
142	0.010
245	0.105
248/1	0.048
112/1	0.165
248/2	0.048
योग . .	2.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—लायरा-खिरिया मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11-अ-82-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—कुरवाई
(ग) ग्राम—जरहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.558 हेक्टर.

आराजी नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
393	0.084
405/1	0.055
406/1	0.011
436	0.021
395/1	0.020
407/2/2	0.031
414/1/1	0.026
437/1	0.032
438/2	0.105
395/2	0.020
414/1/2	0.026
406/2	0.010
405/2	0.056
395/3	0.020
497/2/1	0.052
414/1/3	0.026
406/3	0.010
405/3	0.056
399	0.052
438/1	0.052
400/1	0.046
400/2	0.046
402	0.082
433	0.052
434	0.021

(1)	(2)
403	0.042
404	0.052
414/2/1	0.026
414/3	0.026
414/4	0.026
414/5/1	0.026
414/5/2	0.026
412/1	0.052
413	0.042
418	0.062
417	0.082
419/1/2ख	0.016
419/1/2 क	0.016
437/2	0.052
योग . .	1.558

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—लायरा-खिरिया मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12-अ-82-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—कुरवाई
(ग) ग्राम—कछौआ
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.139 हेक्टर.

आराजी नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
22	0.086
51	0.209
54/5	0.106
57/3	0.063
58/2	0.209
58/1/1	0.165
58/1/2	0.165
27/1	0.146
27/3	0053
68	0.066
62	0.052
54/4	0.106
59/3	0.077
50/1	0.161
53	0.143
49/4/7/1क	0.155
60/1क	0.207
योग . .	2.139

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—लायरा-खिरिया मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13-अ-82-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—कुरवाई
(ग) ग्राम—लचायरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.386 हेक्टर.

आराजी नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
40/1	0.032
40/2	0.032
43/1	0.121
43/2	0.120
47/1	0.063
47/2	0.011
47/3	0.062
46	0.042
45/3	0.048
45/1	0.047
45/2	0.047

(1)	(2)
51/1/1	0.016
52	0.121
51/1/2	0.016
51/1/3	0.016
51/1/4	0.016
51/2	0.017
53/1/1	0.017
53/1/2	0.017
53/2/2	0.018
297/3	0.037
102/2/1	0.016
101/2/2	0.016
316/2	0.017
309	0.021
310	0.042
87	0.042
316/1	0.016
316/3	0.017
316/4/1	0.017
316/4/2	0.017
108/1	0.026
108/2	0.027
107/1	0.026
107/2	0.026
106/2	0.020
106/3	0.021
106/1/1	0.016
106/1/2	0.015
111/1	0.021
111/2	0.021
112/1	0.011
112/2	0.010
105/1	0.105
105/2	0.104
104/1	0.041
104/2	0.041
103/1	0.026
103/2	0.026
297/1	0.036
297/2	0.038
372/2	0.026
369	0.072
367	0.052
394	0.092
395	0.167
313/1	0.014
313/2	0.014
313/3	0.014
317/1	0.048
317/2	0.049
317/3क	0.049
316/4/3	0.017
316/4/4	0.017
316/5	0.010
404/1	0.021
404/2	0.020
402/3	0.477
403/2	0.105
372/1	0.026
366/2	0.027
317/3ख	0.049
317/3ग	0.049
317/4	0.049
330/1/1	0.026
330/1/3	0.026
330/1/2	0.026
330/1	0.026
366/1	0.028
योग . .	3.386

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—लायरा-खिरिया मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 14-अ-82-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—कुरवाई

(ग) ग्राम—बोथीघाट

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.503 हेक्टर.

आराजी नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
264/1	0.070
253	0.105
252	0.140
280/1	0.042
280/2	0.042
279	0.095
264/2	0.067
264/3	0.070
276/1	0.032
276/2	0.032
276/3	0.021
10/1/3/1	0.110
12	0.052
13/2	0.100
13/3	0.100
18/3	0.031
13/1	0.061
18/2	0.031
296/3/2	0.064
19	0.052
37	0.345
20/1	0.084
26/1	0.010
20/2	0.083
26/1	0.010
232/3	0.100
292	0.129
294	0.271
263	0.110
230	0.010
229	0.178
231	0.105
225/1	0.052
227/1	0.022
222/4	0.010
225/2	0.050
227/2	0.100
222/3	0.056
222/1	0.056
242/2	0.045
246	0.007
247	0.129
244	0.002
250	0.081
251	0.012
296/3/3	0.052
296/1	0.064
21	0.031
292/2	0.064
232/1क	0.050
232/1ख/2	0.180
202/4	0.081
योग . .	3.503

भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा पूर्व निमाड़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 5 मई 2012

क्र. 740-2012-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पूर्व निमाड़ खण्डवा

(ख) तहसील—हरसूद

(ग) ग्राम—मातापुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.52 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
259	0.02

(1)	(2)
260/1	0.18
260/2	0.16
261	0.16
योग . .	0.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मेढ़ापानी तालाब के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हरसूद के न्यायालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 742-2012-भू-अर्जन-प्र. क्र.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पूर्व निमाड़ खण्डवा
(ख) तहसील—हरसूद
(ग) ग्राम—इटवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.43 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
130/1	0.08
130/2	0.10
129	0.24
21/2	0.07
67	0.06
65	0.24
59/1	0.08
59/3	0.10
59/2	0.10
58/1	0.19
37/2	0.08
41/1	0.12
41/2	0.12
40.00	0.11
26/1	0.10
26/2	0.06
27	0.05
22	0.07
10	0.30
17	0.10
5/4	0.06
योग . .	2.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इटवा मामाडोह तालाब के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हरसूद के न्यायालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जाता है.

क्र. 744-2012-भू-अर्जन-प्र. क्र.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पूर्व निमाड़ खण्डवा
(ख) तहसील—हरसूद
(ग) ग्राम—दगड़कोट
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.29 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
270/1	0.04
270/2	0.01
270/5	0.11
137	0.02
135	0.01
134/1	0.02
133/1	0.04
134/2	0.08
133/3	0.14

(1)	(2)
129	0.22
121	0.04
120	0.05
119/2	0.02
119/1	0.01
118	0.02
117	0.05
47	0.15
49	0.01
51/2	0.20
51/1	0.06
43	0.04
41	0.03
42/2	0.02
42/1	0.02
40	0.02
39	0.02
38	0.02
37/2	0.03
37/1	0.04
36	0.18
35	0.12
34	0.10
33	0.21
32	0.01
53	0.13
योग . .	2.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मेढ़पानी तालाब के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हरसूद के न्यायालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 5 मई 2012

क्र. एफ. 1226-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—आमाडाड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.021 हेक्टर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
36	0.021
निजी खाता भूमि योग . .	0.021

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 1227-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन

के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मैहर

(ग) नगर/ग्राम—घुनवारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.250 हेक्टर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
20/1/1	0.250
निजी खाता भूमि योग . .	0.250

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 1228-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—उचेहरा

(ग) नगर/ग्राम—रमपुरवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.412 हेक्टर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
74/1	0.228
74/2क	0.184
निजी खाता भूमि योग . .	0.412

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 1229-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—उचेहरा

(ग) नगर/ग्राम—मुगहनी खुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.004 हेक्टर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
5/1	0.269
6/1	0.148
6/2	0.092
10/1	0.112
10/2	0.009
39/1ख	0.021
39/1क	0.053
40	0.233
41	0.067
निजी खाता भूमि योग . .	1.004

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 1230-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—सोनवारी
(घ) क्षेत्रफल—0.724 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
3/2	0.242
1/6	0.150
1/4	0.008
11/2ग	0.165
11/3	0.011
11/1ख	0.132
11/1क/2	0.016
योग :	0.724

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 1233-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम—कुशली
(घ) क्षेत्रफल—0.676 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
270	0.029
274	0.033
272	0.032
273	0.083
265	0.036
266	0.017
263	0.053
264	0.086
308/1	0.040
309/1	0.003
309/2	0.092
310/1क	0.081
310/1ग	0.005
310/1घ	0.013
311/2	0.073
योग :	0.676

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 1234-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—कुटाई
(घ) क्षेत्रफल—3.327 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
754/2	0.021
753/2	0.141

(1)	(2)
751/1क	0.270
751/1ख	0.004
746/1	0.007
657/1	0.026
657/2	0.008
556/5	0.029
556/6	0.037
655/1	0.010
659/2क	0.022
659/2ख	0.024
716/1	0.158
716/2	0.160
580/1	0.075
580/2	0.002
581/1	0.023
583/1	0.101
583/2	0.021
630/2	0.158
629/1	0.029
629/2	0.044
628/1	0.154
627/1	0.011
540/1	0.006
540/2	0.130
534	0.110
551	0.149
550/1	0.039
550/2	0.038
548	0.109
518/1	0.117
518/2क	0.052
518/2ख	0.050
522	0.012
524	0.165
535	0.050
537	0.036
535/1	0.012
535/2	0.043
578/1क/2	0.149
579/1क/1	0.022
846	0.075
847/2क	0.234
847/2ख	0.006
847/2ग	0.188
योग :	3.327

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 1235-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—पोढ़ी
(घ) क्षेत्रफल—1.994 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1250/1क	0.005
1251/1	0.053
1253	0.305
1254	0.011
1260/2	0.115
1262	0.093
1267/1	0.072
1267/2	0.130
1267/3	0.103
1272	0.042
1273	0.042
1274	0.062
1275	0.005

(1)	(2)
1276/1, 1276/2	0.132
1277/1	0.012
1286/1	0.159
1287/1	0.064
1291/1	0.027
1294	0.004
1285	0.286
1297	0.249
1302/1	0.019
1307/1	0.004
योग . .	1.994

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 1236-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—हरनामपुर
(घ) क्षेत्रफल—1.609 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
244	0.003
259	0.207
245	0.005
246/1	0.007
247	0.007
248	0.007
254/3	0.138
255	0.057
258	0.120
383/1	0.281
384/1	0.024
397	0.079
400/2/1	0.362
400/2/2	0.161
449/2/1	0.086
450/2	0.009
449/2/2	0.056
योग . .	1.609

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 1237-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—हरदुवा
(घ) क्षेत्रफल—2.877 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
36/1क/2क	0.232
36/2	0.006
37/1/क	0.076
37/2ख	0.082
38	0.008
39	0.010
116/1	0.101
116/2	0.107
117	0.003
118	0.015
119	0.019

(1)	(2)
120	0.003
203/8	0.110
208	0.038
209/1	0.052
209/2	0.084
210	0.116
212	0.029
217/2ख	0.030
323/2	0.144
337	0.083
339	0.015
341	0.015
347	0.008
348	0.067
432	0.027
433/1	0.086
433/2	0.040
444/1	0.053
444/2	0.064
445	0.008
458	0.053
459	0.004
453	0.024
454/1	0.003
457/2	0.012
466	0.005
468	0.044
469	0.068
470	0.098
533/1	0.105
561	0.044
562	0.010
563	0.112
569	0.016
570	0.005
योग :	2.877

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 7 मई 2012

क्र. 5077-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—जीरापुर
(ग) ग्राम—बावड़ीखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —20.470 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1/1/2	1.500
2/1	0.200
4	0.300
17	0.700
18	1.619
20/12	0.282
20/13	0.304
20/8	0.314
20/20	0.121
19/1/1	0.405
19/1/3	0.809
19/2	0.445
20/21, 20/22	1.000
20/25/1/1	0.405
20/1/4	1.000
20/1/7	1.000
20/1/9	1.000
20/1/10	1.000
20/1/12	0.665
20/1/15	1.032
20/1/18	2.000

(1)	(2)
20/25/3	1.000
20/28/1	0.870
20/28/2	0.375
20/28/3	0.374
20/1/22/1	1.500
20/23/2	0.250
योग :	12.066
महायोग . .	20.470

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बावड़ीखेड़ा तालाब के कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 7 मई 2012

प्र. क्र. 1-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—मानपुर
(ग) राजस्व निरीक्षक मण्डल—चिल्हारी
(घ) ग्राम—करसरा नं. 2
(ङ) लगभग क्षेत्रफल —1.242 हेक्टेयर.

अशासकीय भूमि

खसरा नं.	अर्जित किया जाने वाला रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1/1	0.125
1/2	0.125
3	0.201
5	0.210
9	0.161
10	0.211
11	0.191
14	0.004
13/91	0.014
योग :	1.242

शासकीय भूमि

2/1	0.237
योग :	0.237

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—रेलवे लाइन कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी मानपुर, जिला उमरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—मानपुर
(ग) राजस्व निरीक्षक मण्डल—चिल्हारी
(घ) ग्राम—बड़छड़
(ङ) लगभग क्षेत्रफल —20.510 हेक्टेयर.

अशासकीय भूमि

खसरा नं.	अर्जित किया जाने वाला रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1	0.008
12/1क	0.086
12/2क	0.061
12/2ख	0.041
12/3क	0.061

(1)	(2)
12/3ग	0.061
10	0.075
9	0.088
11	0.032
11/2287	0.068
8	0.282
16/2	0.002
17	0.119
18/1	0.155
18/2	0.155
47	0.128
46/1	0.239
46/2	0.239
45	0.084
40/1	0.073
40/2	0.037
41/1/ख	0.218
41/1/ग	0.218
41/1/घ	0.142
41/2/क	0.219
41/2/ख	0.219
41/2/ग	0.219
41/2/घ	0.219
41/2/ङ	0.219
44	0.007
38	0.015
23/2346	0.048
33/1	0.059
33/2	0.059
33/3	0.059
33/4	0.059
33/5	0.058
77/2348	0.045
1869	0.034
1867/1	0.182
1867/2	0.182
1867/3	0.182
1866/1	0.077
1866/2	0.076
1865	0.064
1868	0.274

(1)	(2)
1909/2318	0.407
1910	0.015
1910/2319/1	0.002
1910/2319/2	0.002
1910/2319/3/क	0.001
1910/2319/3/ख	0.001
1910/2319/3/ग	0.001
1910/2320	0.481
1910/2321	0.002
1911	0.029
1912/1/क/1	0.213
1912/3	0.405
1912/1/ख	0.526
1942/1	0.019
1942/2	0.053
1942/3	0.053
1939/2	0.034
1940/2	0.005
1941/1	0.360
1951/1	0.143
1951/2	0.057
1951/3	0.057
1952	0.655
1953	0.060
1977/1	0.498
1977/2	0.497
1978/1क	0.094
1978/1ख	0.094
1978/1ग	0.058
1978/3ख	0.093
2000/2	0.304
2048/3	0.459
2048/5	0.460
2050/1	0.156
2050/2	0.156
2057	0.665
2058/1क	0.079
2059/1	0.264
2059/2	0.263
2059/3	0.264
2059/4	0.264

(1)	(2)
2063/1	0.007
2063/2	0.006
2064	0.070
2065/1	0.338
2065/2	0.093
2066/1	0.054
2066/2	0.054
2066/3	0.054
2066/4	0.053
2078/1क	0.046
2078/1ख	0.046
2078/2क/1	0.046
2078/2क/2/ख	0.046
2078/2क/3	0.047
2078/2/क/4/ख	0.046
2078/2/ख	0.046
2079/1	0.029
2079/2	0.029
2079/3	0.029
2079/4	0.029
2079/5	0.029
2079/6	0.072
2080/1	0.009
2080/2	0.009
2080/3	0.009
2080/4	0.009
2080/5	0.009
2080/6	0.009
2080/7	0.009
2081	1.039
2095/2	0.306
2097/1	0.242
2097/2	0.202
2098/1	0.101
2098/2	0.101
2098/3	0.101
2101/1/क	0.482
2101/1/ख	0.400
2101/2/ग/1	0.202
2101/2/ग/2	0.101
2101/2/घ	0.269
2101/2/च	0.270
2101/2/छ	0.270
2101/2/ज	0.202
2101/2/ट/1	0.064
2101/2/ट/2	0.064
2101/2/ट/3	0.065
2101/2/ठ/1	0.064
2101/2/ठ/2	0.064
2101/2/ठ/3	0.032
2101/2/ड/1	0.064
2101/2/ड/2	0.063
2101/2/ढ	0.063
2140/1	0.021
2140/2/क	0.021
2140/2/ख	0.021
2140/2/ग	0.021
1864/2	0.160
2000/3	0.546
12/3ख	0.061
योग :	20.510

शासकीय भूमि

2051	0.193
योग :	0.193

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रेलवे लाइन कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, मानपुर, जिला उमरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—मानपुर
(ग) राजस्व निरीक्षक मण्डल—चिल्हारी

(घ) ग्राम—भरौली
(ङ) लगभग क्षेत्रफल —1.252 हेक्टेयर

खसरा नं.	अर्जित किया जाने वाला रकबा (हे. में)
(1)	(2)
240/1/क	0.062
240/1/ख	0.062
240/1/ग	0.062
240/2/क	0.062
240/2/ख	0.062
240/2/ग	0.061
239/1	0.024
239/2/क	0.019
239/2/ख	0.019
239/2/ग	0.019
242/1/क	0.333
242/1/ख	0.137
242/1/ख/3	0.138
242/2/ख	0.138
238	0.031
247/2	0.014
248/2	0.009
योग :	1.252

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रेल्वे लाइन कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, मानपुर, जिला उमरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एस. भटनागर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 9 मई 2012

क्र. 1085-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामनगर
(ग) ग्राम—मुर्तिहाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.13 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
63	0.013
योग :	0.013

म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

महायोग : 0.013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के कंदवारी उपबांध अन्तर्गत आऊट फाल ड्रेन नाली कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1087-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामनगर
(ग) ग्राम—बरहाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.073 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
95/1	0.018
95/2	0.035
110/2	0.004
119	0.082
117	0.022
153	0.034
132	0.058
130	0.006
154	0.032
158/1	0.010
159/1	0.003
158/2	0.010
159/3	0.003
158/3	0.011

(1)	(2)
159/3	0.003
	योग : 0.331

म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

— —

महायोग : 0.331

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के कंदवारी उपबांध अन्तर्गत आऊट फाल ड्रेन नाली कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 10 मई 2012

क्र. 1111-प्रशासक-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सेमरिया
(ग) ग्राम—रंगोली मुड़वार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.637 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
122	0.057
123	0.240
174	0.136
175	0.008
176	0.058
177	0.075
178	0.306
179	0.507
180	0.013
188	0.094
191	0.006
192	0.240
195	0.003
196	0.164
200	0.176
204	0.262
205	0.065
210	0.050
211	0.122
173	0.054
189	0.001
	योग : 2.637

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1114-भू-अर्जन-कार्य.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सेमरिया
(ग) ग्राम—बर्रौं कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.094 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2428	0.091
2437	0.024
2438	0.024
2455	0.360
2459	0.126
2461/2	0.072
2462	0.102
2463	0.094
1160	0.199
1163	0.002
	योग : 1.094

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2012

क्र. 493-गोपनीय-2012-दो-3-90-2011.—सुश्री संगीता मदान, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, ग्वालियर का नाम ''सुश्री संगीता मदान'' के स्थान पर ''श्रीमती संगीता मदान'' पत्नी श्री संजय मदान अंकित करने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका उक्तानुसार नाम अंकित किया जावे.

आदेशानुसार,
सुभाष काकडे,
रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2012

क्र. C-3036-दो-3-10-2012.—श्री नरेन्द्र कुमार जैन, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 19 मार्च 2012 से दिनांक 20 मार्च 2012 तक दो दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 21 मार्च से 24 मार्च 2012 तक चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री नरेन्द्र कुमार जैन, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री नरेन्द्र कुमार जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2012

क्र. B-1003-दो-2-14-2012.—श्री अफसर जावेद खान, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 13 से 24 मार्च 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 मार्च 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अफसर जावेद खान, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अफसर जावेद खान उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2012

क्र. D-1943-दो-3-16-2007.—श्री व्ही. बी. सिंह, एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 16 से 20 अप्रैल 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 अप्रैल 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. बी. सिंह, एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. बी. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो एडीशनल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-1945-दो-3-10-2012.—श्री एन. के. जैन, ओ.एस.डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 16 से 20 अप्रैल 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 अप्रैल 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. जैन, ओ.एस.डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-3202-दो-2-12-2012.—श्री प्रकाश चन्द्र मिश्रा, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 26 मार्च से 30 मार्च 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 मार्च 2012 के तथा पश्चात् में दिनांक 31 मार्च से 1 अप्रैल 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रकाश चन्द्र मिश्रा, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थ किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रकाश चन्द्र मिश्रा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2012

क्र. डी-1855-तीन-10-42-75-(सतना-अमरपाटन).—मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि श्री जी. एस. नेताम, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट) मैहर अपने घोषित कार्यस्थल, मैहर के अतिरिक्त अमरपाटन में भी प्रत्येक माह 2 सप्ताह बैठक करेंगे.

No. D-1855-III-10-42-75-(Satna-Amarpatan).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri G. S. Netam, II Additional District & Session Judge (FTC), Maihar in addition to his place of sitting declared at Maihar shall also sit at Amarpatan for two weeks in each month.

क्र. डी-1853-तीन-10-42-75-(रतलाम-आलोट).— मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि श्री बी. एल. प्रजापति, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट) जावरा अपने घोषित कार्यस्थल, जावरा के अतिरिक्त आलोट में भी प्रत्येक माह 7 दिवस बैठक करेंगे.

No. D-1853-III-10-42-75-(Ratlam-Alot).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri B. L. Prajapati, II Additional District & Session Judge (FTC), Jaora in addition to his place of sitting declared at Jaora shall also sit at Alot for seven days in each month.

क्र. डी-1851-तीन-10-42-75-(होशंगाबाद-इटारसी).—मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि श्री लाल सिंह दुवासा, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश होशंगाबाद अपने घोषित कार्यस्थल होशंगाबाद के अतिरिक्त इटारसी में भी प्रत्येक माह 7 दिवस बैठक करेंगे.

No. D-1851-III-10-42-75-(Hoshangabad-Itarsi).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Lal Singh Duwasha, III Additional District & Session Judge Hoshangabad in addition to his place of sitting declared at Hoshangabad shall also sit at Itarsi for seven days in each month.

By order of the High Court,
ABHAI KUMAR, Registrar.

जबलपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2012

क्र. 448-गोपनीय-2012-दो-3-250-57 (भाग-31).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में अंकित है और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक फा.-3 (बी) 6/2011/21-ब-(एक) (मेरिट क्रमांक), दिनांक 28 मार्च 2012 एवं 7 जनवरी 2012 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) में नियुक्त किया गया है, उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है:—

सारणी

क्र.	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री सचिन कुमार	ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, ग्वालियर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
2	श्री संजीव कुमार पालीवाल	ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, ग्वालियर के न्यायालय के चौदहवें अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
3	श्री आशुतोष यादव	शिवपुरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, शिवपुरी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
4	श्री मनीष अनुरागी	रतलाम	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, रतलाम के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
5	श्री शिव कुमार डावर	भोपाल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, भोपाल के न्यायालय के ग्यारहवें अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

जबलपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2012

क्र. 462-गोपनीय-2012-दो-2-1-2011 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लिखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्र.	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री अवधेश कुमार सिंह, तेरहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.	उन्नीसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर की हैसियत से रिक्त पद पर.
2	श्री कासिफ नदीम (खान), प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर की हैसियत से श्री विमल प्रकाश के स्थान पर.
3	श्री विमल प्रकाश, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर की हैसियत से श्री कासिफ नदीम (खान) के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)
4	श्री राजीव कुमार अयाची, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, मंदसौर.	चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर की हैसियत से रिक्त पद पर.
5	श्री माईकल सैमुअल, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल.	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल की हैसियत से श्री प्रभात कुमार मिश्रा के स्थान पर.
6	श्री प्रभात कुमार मिश्रा, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल.	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल की हैसियत से श्री माईकल सैमुअल के स्थान पर.
7	श्री रेवाराम बामनिया, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा.	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा की हैसियत से श्री दीपक कुमार त्रिपाठी के स्थान पर.
8	श्री दीपक कुमार त्रिपाठी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा.	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा की हैसियत से श्री रेवाराम बामनिया के स्थान पर.
9	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट.	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
10	श्री राम प्रकाश मिश्रा, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर.	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

क्र. 463-गोपनीय-2012-दो-3-1-2011 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लिखित निम्नतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्र.	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती सुशीला वर्मा, नवम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जबलपुर.	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जबलपुर की हैसियत से श्री विकासचंद्र मिश्र के स्थान पर.
2	श्री विकासचंद्र मिश्र, पंचम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जबलपुर.	नवम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जबलपुर की हैसियत से श्रीमती सुशीला वर्मा के स्थान पर.

जबलपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2012

क्र. 474-गोपनीय-2012-दो-2-21-63 (भाग-पांच).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों (चयन ग्रेड) को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये गये दिनांक से, स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शित रिक्त पदों पर सुपर समय वेतनमान (Super Time Scale) रुपये 70290—1540—76450/- में नियुक्त करता है:—

सारणी

क्र.	नाम तथा पदनाम	सुपर समय वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक	रिक्त पद के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री हौसला प्रसाद सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया.	15-3-2012	रिक्त पद पर

(1)	(2)	(3)	(4)
2	श्री अशोक कुमार जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर.	15-3-2012	रिक्त पद पर
3	श्री अभिनन्दन कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल.	28-3-2012	रिक्त पद पर
4	श्रीमती शिप्रा शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार.	28-3-2012	रिक्त पद पर
5	श्री राम निवास पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच.	29-3-2012	रिक्त पद पर
6	श्री राजीव शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया.	29-3-2012	रिक्त पद पर
7	श्री रंजीत सिंह ठाकुर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला.	01-4-2012	रिक्त पद पर

जबलपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2012

क्र. 477-गोपनीय-2012-दो-2-1-2012 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)
1	श्री मोहन पी. तिवारी, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा की हैसियत से श्री दीपक कुमार त्रिपाठी के स्थान पर.
2	श्री दीपक कुमार त्रिपाठी, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा.	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा की हैसियत से श्री मोहन पी. तिवारी के स्थान पर.

जबलपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2012

क्र. 496-गोपनीय-2012-दो-3-250-57 (भाग-31).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में अंकित है और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक फा.-3 (बी) 6/2011/इक्कीस-ब-(एक) (मेरिट क्रमांक), दिनांक 3 अप्रैल 2012 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) में नियुक्त किया गया है, उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2

के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है:—

सारणी

क्र.	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुश्री रीतिका मिश्रा	सागर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सागर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
2	श्री सुशील कुमार अग्रवाल	जबलपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, जबलपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
3	श्री विनोद कुमार वर्मा	जबलपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, जबलपुर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
4	श्री विजेन्द्र सिंह रावत	श्योपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, श्योपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
5	श्री आशीष कुमार केशरवानी	जबलपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, जबलपुर के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

जबलपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2012

क्र. 504-गोपनीय-2012-दो-3-250-57 (भाग-31).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में अंकित है और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक फा.-3 (बी) 6/2011/21-ब-(एक) (मेरिट क्रमांक), क्रमशः दिनांक 24 फरवरी 2012 एवं 2 मार्च 2012 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) में नियुक्त किया गया है, उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है:—

सारणी

क्र.	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री निमिश राजा	बैतूल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैतूल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
2	श्री रविन्द्र कुमार शिल्पी	होशंगाबाद	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, होशंगाबाद के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

जबलपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2012

क्र. 519-गोपनीय-2012-दो-2-1-2012 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नामों के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री सुरेन्द्र सिंह सिसौदिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन.	रायसेन	इन्दौर	इन्दौर	सिविल जिला, इन्दौर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश इन्दौर की हैसियत से श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी के स्थान पर.
2	श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (जूनियर) अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर.	ग्वालियर	रायसेन	रायसेन	सिविल जिला, रायसेन. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन की हैसियत से श्री सुरेन्द्र सिंह सिसौदिया के स्थान पर.

क्र. 520-गोपनीय-2012-दो-2-1-2012 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को निर्देशित करता है कि वे अपने वर्तमान पद से दिनांक 28 अप्रैल 2012 को अनिवार्य रूप से कार्यभार सौंपे व अपनी नवीन पदस्थापना अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर की हैसियत से एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करें, जिसके संबंध में, राज्य शासन से आदेश प्राप्त कर, पृथक् से प्रेषित किया जावेगा.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.